चिंतन

किसी का घर गिराना आश्रय के अधिकार का उल्लंघन

बुलडोजर जस्टिस पर देश की सुप्रीम अदालत एक बार फिर से सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर एक्शन को असंवैधानिक व असंवेदनशील करार दिया है। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और तीन महिला याचिकाकर्ताओं के घरों को 2021 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। घर ध्वस्त करने की ये मनमानी प्रक्रिया हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है, राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है। कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि पांचों पीड़ितों को 10-10 लाख रुपये का हर्जाना दिया जाए। दरअसल, किसी का घर गिराना संविधान के आश्रय के अधिकार का उल्लंघन है। गत माह 24 मार्च को यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तो दूसरी तरफ 8 साल की एक बच्ची अपनी किताबें लेकर भाग रही थी। यह मार्मिक दृश्य था, इस तस्वीर ने सबको हैरान-परेशान कर दिया था। जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां अवैध रूप से तोड़फोड़ की जा रही थी और इसमें शामिल लोगों के पास निर्माण कार्य करने तक की क्षमता नहीं है। किसी भी राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा है, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई नागरिकों के आश्रय अधिकार व मौलिक अधिकार की अवहेलना करके नहीं की जा सकती है। यह सही है कि प्रशासनिक हीलाहवाली के चलते शहरों में अनेक अवैध निर्माण हुए हैं, इसमें हमारा पूरा प्रशासनिक तंत्र जिम्मेदार है। सवाल है जब अवैध निर्माण हो रहा होता है, तब प्रशासन सोया क्यों रहता है? दूसरा प्रश्न भी है कि यदि कोई आपराधिक आरोपित है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके आवास पर बुलडोजर चला कर समूचे परिवार को सजा दी जाए। राज्य सरकार को न कानून हाथ में लेने का अधिकार है, न किसी आरोपित को दोषी मानने का हक है। आरोपित के खिलाफ कानून सम्मत फैसला करने का अधिकार अदालत का है। अतीत में यूपी समेत कुछ राज्यों द्वारा अवैध कब्जे व अतिक्रमण ड्राइव के नाम पर अनेक आपराधिक रिकार्ड वाले आरोपियों के घरों व ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन लिया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान भी 13 जून 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से लोगों के घर गिराए जाने को असंवैधानिक बताया था। अदालत ने कहा था कि यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति का मकान केवल इस आधार पर गिरा देती है कि वह अभियुक्त है, तो यह कानून के शासन का उल्लंघन है। यहां तक कि गंभीर अपराधों के आरोपी और दोषी के खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई बिना नियम का पालन किए नहीं की जा सकती। शीर्ष अदालत ने सख्त लहजे में कहा था कि किसी एक की गलती की सजा पूरे परिवार को नहीं दे सकते, सिर्फ आरोपी या दोषी होने पर घर नहीं गिराया जा सकता। प्रशासन को ये बताना होगा कि बुलडोजर एक्शन क्यों जरूरी है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात में बुलडोजर एक्शन देखे गए थे, जबकि गाइडलाइन टूटने पर अफसर के खिलाफ कार्रवाई की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। सरकार कानून के दायरे में ही काम करे और किसी परिवार के आश्रय का अधिकार नहीं छीने।

विश्लेषण

प्रमोद भार्गव

म्यांमार भूकंप विकास के लिए खतरा

> इस भूकंप के झटके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में भी अनुभव किए गए। चीन, वियतनाम, ताइवान, लाओस और श्रीलंका में भी भूकंप की तरंगें अनुभव की गई। याद रहे, भारत के भुज में 24 साल पहले आया भूकंप भी 7.7 तीव्रता का था, जिसमें 20 हजार लोगों की मौतें हुई थीं और डेढ़ लाख लोग घायल हुए थे। तीन लाख से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ था। म्यांमार के भूकंप का केंद्र भूमि के 10 किमी नीचे था। भूकंप के केंद्र वाला म्यांमार का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पूर्व से ही चिन्हित है। बावजूद यहां आवास और उद्योगों के लिए आलीशान अट्टालिकाएं खड़ी की जा रही हैं। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने का परिणाम इस भूकंप को माना जा रहा है।

म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के ताकतवर भूकंप ने 1700 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली और 2500 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। भूकंप के प्रभाव में आकर जिस तरह से बहुमंजिला इमारतें ढहीं, सड़कें, पुल और बांध टूटे, बिजली और इंटरनेट सेवाएं ठप हो गईं, यह प्रकृति की एक ऐसी नजीर है, जो बढ़ते शहरीकरण के लिए चेतावनी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आए कुछ पलों के झटकों ने ही दुनिया के इस सुंदर शहर को थर्रा दिया। इसी बीच अमेरिका की भूगर्भीय सर्वेक्षण एजेंसी ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या 10 हजार से भी अधिक पहुंच सकती है। इस भूकंप के झटके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल में भी अनुभव किए गए। चीन, वियतनाम, ताइवान, लाओस और श्रीलंका में भी भूकंप की तरंगें अनुभव की गई। याद रहे, भारत के भुज में 24 साल पहले आया भूकंप भी 7.7 तीव्रता का था, जिसमें 20 हजार लोगों की मौतें हुई थीं और डेढ़ लाख लोग घायल हुए थे। तीन लाख से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ था। म्यांमार के भूकंप का केंद्र भूमि के 10 किमी नीचे था। भूकंप के केंद्र वाला म्यांमार का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में पूर्व से ही चिन्हित है। बावजूद यहां आवास और उद्योगों के लिए आलीशान अट्टालिकाएं खड़ी की जा रही हैं।

भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराने का परिणाम इस भूकंप को माना जा रहा है। दिल्ली राजधानी क्षेत्र में 17 फरवरी 2025 की सुबह 5.36 बजे रिएक्टर स्केल पर चार तीव्रता वाले भूकंप के झटके और धमाकों जैसी आवाजें सुनी गईं थीं। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र दिल्ली के धौलाकुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किमी की गहराई में था। इस कारण इसकी तीव्रता भूगर्भ में ही कमजोर पड़ गई और सतह पर नहीं आने पाई। बिहार में भी भूकंप के झटके अनुभव किए गए। इसका केंद्र धरती की सतह से 10 किमी नीचे था। इसलिए असर केवल अनुभव हुआ। बावजूद भविष्य में भूकंप का यह संकेत दिल्ली के लिए विनाश की चेतावनी है। क्योंकि दिल्ली, हरिद्वार और महेंद्रगढ़ ,देहरादून के ऐसे पठारनुमा टीले पर बसा हुआ है, जहां से भूकंप की भ्रंश रेखा गुजरती है। अतएव यहां हमेशा भूकंप का खतरा बना रहता है। यह संकट इसलिए भी है, क्योंकि यमुना नदी के मैदानी क्षेत्र में भूमि की परत नरम है। हालांकि इस भूकंप को विवर्तनिक परत (टेक्टोनिक्स प्लेट) में किसी बदलाव के कारण आना नहीं माना गया था। इसके आने का कारण स्थानीय भूगर्भीय विविधता को माना जा रहा है। याद रहे हिमालय के उत्तरी तलहटी में स्थित चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र शिगात्से के निकट तिंगरी काउंटी में 7 जनवरी 2025 को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। इसमें 126 लोग मारे गए थे। भूकंप से तिब्बत में किसी बांध या जलाशय को हानि नहीं पहुंची थी।

गौरतलब है कि भूकंप ने भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना ने भारत और बांग्लादेश को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि यह पूरा क्षेत्र भारत और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव के कारण चीन के दक्षिण-पश्चिम हिस्से नेपाल और उत्तर-भारत में अकसर भूकंप आते रहते हैं। भूकंप की चेतावनी संबंधी प्रणालियां अनेक देशों में संचालित हैं लेकिन वह भू-गर्भ में हो रही

दानवी हलचलों की सटीक जानकारी समय पूर्व देने में लगभग असमर्थ हैं। क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी देने वाले अमेरिका, जापान, भारत, नेपाल, चीन और अन्य देशों में भूकंप आते ही रहते हैं। इसलिए यहां लाख टके का सवाल उठता है कि चांद और मंगल जैसे ग्रहों पर मानव बस्तियां बसाने का सपना और पाताल की गहराइयों को नाप लेने का दावा करने वाले वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी के नीचे उत्पात मचा रही हलचलों की जानकारी प्राप्त करने में क्यों असफल हैं ? जबकि वैज्ञानिक इस दिशा में लंबे समय से कार्यरत हैं। अमेरिका एवं भारत समेत अनेक देश मौसम व भूगर्भीय हलचल की जानकारी देने वाले उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित कर चुके हैं। दरअसल दुनिया के नामचीन विशेषज्ञों व पर्यावरणविदों की मानें तो सभी भूकंप प्राकृतिक नहीं होते, बल्कि उन्हें विकराल बनाने में मानवीय हस्तक्षेप शामिल है। इसीलिए इस भूकंप को स्थानीय भू-गर्भीय विविधता का कारण माना गया है। दरअसल प्राकृतिक संसाधनों के अकूत दोहन और फिर शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के लिए शैतानी निर्माण से छोटे स्तर के भूकंपों की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। भविष्य में इन्हीं भूकंपों की व्यापकता और विकरालता बढ़ जाती है। यही कारण है कि भूकंपों की आवृत्ति बढ़ रही है। भूकंपों का वैज्ञानिक आकलन करने से यह भी पता चला है कि भूकंपीय विस्फोट में जो ऊर्जा निकलती है, उसकी मात्रा भी पहले की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली हुई है। जापान और फिर क्योटो में आए सिलसिलेवार भूकंपों से पता चला है कि धरती के गर्भ में अंगड़ाई ले रही भूकंपीय हलचलें महानगरीय आधुनिक विकास और आबादी के लिए अधिक खतरनाक साबित हो रही हैं। ये हलचलें भारत, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश की धरती के नीचे भी अंगड़ाई ले रही हैं। इसलिए इन देशों के महानगर भूकंप के मुहाने पर खड़े हैं। हैरानी इस बात पर है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक तरक्की के बाद भी वैज्ञानिक आज तक ऐसी तकनीक ईजाद करने में असफल रहे हैं, जिससे भूकंप की जानकारी आने से पहले मिल जाए। भूकंप के लिए जरूरी ऊर्जा के एकत्रित होने की प्रक्रिया को धरती की विभिन्न परतों के आपस में टकराने के सिद्धांत से आसानी से समझा जा सकता है।

ऐसी वैज्ञानिक मान्यता है कि करीब साढ़े पांच करोड़ साल पहले भारत और आस्ट्रेलिया को जोड़े रखने वाली भूगर्भीय परतें एक-दूसरे से अलग हो गईं और ये यूरेशिया परत से जा टकराईं। इस टक्कर के फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला अस्तित्व में आई और धरती की विभिन्न परतों के बीच वर्तमान में मौजूद दरारें बनीं। हिमालय पर्वत उस स्थल पर अब तक अटल खड़ा है, जहां पृथ्वी की दो अलग-अलग परतें परस्पर टकराकर एक-दूसरे के भीतर घुस गई थीं। परतों के टकराव की इस प्रक्रिया की वजह से हिमालय और उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। इसी प्रायद्वीप में ज्यादातर एशियाई देश बसे हुए हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक क्रियाओं के कारण भी भूकंप आते हैं।

विकास के लिए पानी, गैस, खनिज, इस्पात, ईंधन और लकड़ी जरूरी हैं। नतीजतन जो कॉर्बन गैसें बेहद न्यूनतम मात्रा में बनती थीं, वे अब अधिकतम मात्रा में बनने लगी हैं। इस वजह से वायुमंडल में इकतरफा दबाव बढ़ रहा है। इस कारण धरती पर पड़ने वाली सूरज की गर्मी प्रत्यावर्तित होने की बजाय, धरती में ही समाने लगी है। गोया, धरती का तापमान बढ़ने लगा, जो जलवायु परिवर्तन का कारण तो बना ही, प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन रहा है। ऐसे में सीमेंट, लोहा और कंक्रीट के भवन जब गिरते हैं, तो मानव त्रासदी ज्यादा होती है। जैसे कि हमें अमेरिका के लॉस एंजीलिस शहर में लगी आग में देखने में आ रहा है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया edit@haribhoomi.com पर दे सकते हैं।

विमर्श

गिरीश चन्द्र पाण्डे

जलवायु परिवर्तन की अनदेखी हानिकारक

हाल ही में नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने किया। एनजीटी का कार्य पर्यावरण से जुड़े विवादों को प्रभावी एवं सुविधाजनक तरीके से शीघ्र निपटाना है। इसलिए इस सम्मेलन की महत्ता स्वयंसिद्ध है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता संरक्षण तथा सतत विकास सहित पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों के समाधान पर विचार-विमर्श किया गया। इन सभी सत्रों का उद्देश्य भारत और विश्व में पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच अर्थपूर्ण संवाद और सहयोग को आगे बढ़ाना था। सम्मेलन में पर्यावरण के प्रति सचेत और संवेदनशील जीवन शैली अपनाने के महत्व. को रेखांकित किया गया। साथ ही इस सम्मेलन में भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का एक नैतिक दायित्व भी माना गया। चूंकि सभी के सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही पर्यावरण का संरक्षण और उसका संवर्धन संभव है, इसलिए इसके लिए नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह भी किया गया। क्लाइमेट चेंज की भयावह समस्या किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, इसलिए सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा पार सहयोग और नवाचारी नीतियों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया ताकि एक साथ पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके। जहां तक भारत का सम्बन्ध है, केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और मंत्रालय का मानना है कि विकासशील देशों के लिए त्वरित पर्यावरणीय आर्थिक विकास ही जलवायु परिवर्तन से सर्वश्रेष्ठ बचाव है। निश्चित तौर पर इस सम्मेलन को हम क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने, जागरूकता लाने तथा पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कह सकते हैं।

हम यह भी देख रहे हैं कि जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, इससे न केवल ग्लेशियर पिघल रहे हैं बल्कि जंगल की आग भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से न केवल पर्यावरण बल्कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से तटीय क्षेत्रों और द्वीपीय देशों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए भारत में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों को अधिक खतरा है। नदियों में पानी की मात्रा अचानक बढ़ने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। यही नहीं, ग्लेशियरों से पिघलकर आने वाला पानी नदियों का मुख्य स्रोत होता है, खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों के लिए। ये तीनों नदियां देश को 63 प्रतिशत के आसपास पानी देती हैं जिनमें अकेले गंगा का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है। इसलिए ग्लेशियर खत्म होने की स्थिति में इन नदियों में पानी की मात्रा घट जाएगी, जिससे भविष्य में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में जल संकट गहरा सकता है। कई जीव-जंतु और पौधे ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से उनका आवास नष्ट हो जाता है, जिससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जैव विविधता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नदियों में पानी की कमी होने से सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कृषि और खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के मूल कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को पहले नियंत्रित करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना तथा पौधरोपण को बढ़ावा देना दीर्घकालिक समाधान हो सकते हैं। कुछ विश्व नेता अभी भी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं और इस संकट को हल करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के प्रति पूरी तरह उदासीन दिखाई देते हैं। ये भूल जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज की रफ्तार यदि ऐसी ही बनी रही तो उसके समक्ष अर्थव्यवस्था बौनी साबित होगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल की भांति इस बार भी अपने को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लिया है। निश्चित तौर पर इस कदम से वैश्विक प्रयासों में बाधा पड़ती है। उम्मीद करें कि विश्व समुदाय मिलकर पेरिस जलवायु समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपना वचनबद्धता की पुनः पुष्टि करते हुए निर्णायक कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ेगा।

(लेखक साहित्यकार व विश्लेषक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हृदय का करें अनुसरण

संकलित

दर्शन

कोई भी धर्मग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता। चाहे हम दुनिया के सारे धर्मग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता। हम सारी उम्र धर्म या ईश्वर संबंधी बातें करते रहें, पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। दुनिया के विद्वानों ने भले ही हमारी बुद्धि प्रखर कर दी हो, पर हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सके। पाश्चात्य संस्कृति का दोष यह है कि हम बुद्धि का संस्कार करते समय हृदय के संस्कार की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य दस गुना स्वार्थी हो जाता है। यदि हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो, तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, वह उसके परे जा ही नहीं सकती, पर वह केवल हृदय ही है, जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय, बुद्धि का अतिक्रमण कर अंतःस्फूर्ति को पा लेती है। बुद्धि से कभी अंतःस्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अंतःस्फूर्ति का कारण केवल ज्ञानोदय बासित हृदय ही है। बुद्धिप्रधान, किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान नहीं बन सकता। प्रेममय पुरुष की समस्त क्रियाएं उसके हृदय से अनुप्राणित होती हैं। एक ऐसा उच्चतर साधन, जिसे बुद्धि कभी नहीं दे सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने ही, और वह साधन है अंतःस्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय अंतःस्फूर्ति का। शुरुआत में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता, जितनी कि बुद्धि।

एक सत्संग ऐसी भी

संकलित

प्रेरणा

एक सेठ और सेठानी रोज सत्संग में जाते थे। सेठजी के घर एक पिंजरे में तोता पाला हुआ था। तोता एक दिन पूछता हैं कि सेठजी आप रोज कहाँ जाते है। सेठजी बोले कि, सत्संग में ज्ञान सुनने जाते है। तोता कहता है, सेठजी संत महात्मा से एक बात पूछना कि मैं आजाद कब होऊंगा। सेठजी सत्संग खत्म होने के बाद संत से पूछते है कि महाराज हमारे घर जो तोता है उसने पूछा हैं की वो आजाद कब होगा? संत जी ऐसा सुनते हीं बेहोश होकर गिर जाते है। घर आते ही तोता सेठजी से पूछता है कि सेठजी संत ने क्या कहा। सेठजी कहते है तेरी आजादी का पूछते ही वो बेहोश हो गए। दूसरे दिन सेठजी सत्संग में जाने लगते है तब तोता पिंजरे में जानबूझ कर बेहोश होकर गिर जाता है। सेठजी उसे मरा हुआ मानकर जैसे हीं उसे पिंजरे से बाहर निकालते है, तो वो उड़ जाता है। सत्संग जाते ही संत सेठजी को पूछते है कि कल आप उस तोते के बारे में पूछ रहे थे ना अब वो कहाँ हैं। सेठजी कहते हैं, हाँ महाराज आज सुबह-सुबह वो जानबुझ कर बेहोश हो गया , मैंने देखा की वो मर गया है इसलिये मैंने उसे जैसे ही बाहर निकाला तो वो उड़ गया। तब संत ने सेठजी से कहा की देखो तुम इतने समय से सत्संग सुनकर भी आज तक सांसारिक मोह-माया के पिंजरे में फंसे हुए हो और उस तोते को देखो बिना सत्संग में आये मेरा एक इशारा समझ कर आजाद हो गया।

अंतर्मन

आज की पाती

जनप्रतिनिधियों को वेतन पेंशन देने का औचित्य

भारत एक गौरवशाली लोकतांत्रिक गणराज्य है। हालांकि, विषय विचारणीय है कि संविधान में उल्लिखित आदर्श और सिद्धांत, जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों को समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करना था, उनके अर्थों को समय-समय पर स्वहित में तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति भी उतनी ही पुरानी हो गई है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन इस विश्वास के साथ करती है कि वे उनके अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करेंगे। इन्हें जनसेवक कहा जाता है, लेकिन व्यवहार में इनका कार्य सेवा से अधिक 'सुविधा और लाभ' की ओर झुका हुआ है। संसद में हो रहे व्यवधान से प्रश्न उठता है कि क्या इन्हें वेतन और पेंशन दी जानी चाहिए या नहीं? भारत की समझ जनता को इस विषय पर चिंतन करना है।

- विवेक सक्सेना, राजनांदगांव

ट्रेंड

'ओडिशा दिवस' हर वर्ष

दिल्ली सरकार ने निर्णय लिया है कि हर वर्ष 'ओडिशा दिवस' को भव्य रूप से मनाया जाएगा। ओडिशा की संस्कृति, परंपराओं और योगदान का सम्मान करना हम सबका कर्तव्य है। हम इसे और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

-रेखा गुप्ता, सीएम, दिल्ली

नशे के खिलाफ कदम

पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 1 महीने में नशे के खिलाफ ऐसे सख्त कदम उठाए है, जो पिछले 75 सालों में नहीं हुए। अब इसे जनआंदोलन बनाकर पंजाब के गांव-गांव में जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को जोड़ेंगे, हर पिंड से नशे को खत्म करना ही हमारा संकल्प है।

-अरविन्द केजरीवाल, पूर्व सीएम, दिल्ली

उत्कल दिवस

प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन शिल्पकारी और अनूठी संस्कृति से समृद्ध ओडिशा राज्य, भारत का गौरव है। सभी प्रदेशवासियों को उत्कल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

महाभारत का मंच

महाभारत एक ऐसा मंच होना चाहिए जो कई कहानियाँ कहने का समर्थन करता हो.. यह क्वांटम कहानी कहने के सबसे करीब है.. पात्र पात्रों से विकसित होते हैं.. चलो बात करते हैं।

-शेखर कपूर, फिल्मकार

करंट अफेयर

तीन मुस्लिम देशों का दौरा आखिर क्या है ट्रंप का प्लान

डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेशन से लेकर टैरिफ तक लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं। हालांकि ट्रंप कई देशों से रिश्ते सुधारने में भी जुट गए हैं और इसी एवज में वो तीन मुस्लिम देशों का दौरा करने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी खुद ट्रंप ने दी और कहा कि सत्ता में वापसी के बाद पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की हो सकती है। अगले महीने ही डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को व्हाइट हाउस में कहा कि उनकी सत्ता में वापसी के बाद पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की हो सकती है। ट्रंप ने कहा कि अगले महीने ये यात्रा हो सकती है, या थोड़ा बाद में। उन्होंने इसी के साथ कतर समेत कुछ अन्य देशों में भी जाने की संभावना जताई रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यूएई बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यूएई और कतर में रुकेंगे। सऊदी अरब के अधिकारियों ने हमारी अमेरिकी कंपनियों में लगभग एक ट्रिलियन डॉलर खर्च करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका अर्थ मेरे लिए नौकरियां हैं। अमेरिकी कंपनियां सऊदी अरब और मध्य पूर्व के अन्य स्थानों के लिए उपकरण बनाएंगी। बता दें कि जनवरी में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी व्यापार और निवेश में 600 बिलियन डॉलर जमा करने का वादा किया था।

ऑफ बीट

दिन में तीन पहरों में रूप बदलती है ज्ञान की देवी मां शारदा

बुंदेलखंड के जालौन जिले में ज्ञान की देवी मां शारदा का ऐसा मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि एक कुंड से प्रकट हुई आदि शक्ति दिन के तीन पहरों में अलग अलग रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। जिला मुख्यालय उरई से लगभग 30 किमी दूर ग्राम बैरागढ़ में स्थित इस मंदिर में ज्ञान की देवी सरस्वती मां शारदा के रूप में विराजमान हैं। किवदंतियों के अनुसार, यह मंदिर आदिकाल में निर्मित हुआ था और मां शारदा की मूर्ति मंदिर के पीछे बने एक कुंड से निकली थी। इस कारण इस स्थान को शारदा देवी सिद्ध पीठ कहा जाता है। मान्यता है कि देवी प्रतिमा दिन में तीन रूपों में दिखती है, सुबह के समय कन्या के रूप में, दोपहर को युवती के रूप में और शाम को मां के स्वरूप में। इन अद्भुत दर्शनों के लिए श्रद्धालु पूरे देश से यहां आते हैं। पुजारी शारदा शरण द्विवेदी ने बताया कि मंदिर प्रांगण में पाखर का वृक्ष नवरात्र के समय हरा भरा हो जाता है जहां श्रद्धालु पेड़ के नीचे तप और ध्यान भी करते हैं। भक्त मानते हैं कि पेड़ के नीचे बैठकर जो अपनी मन्नत होती है वह पूर्ण होती है। मां शारदा शक्ति पीठ ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पृथ्वीराज चौहान और आल्हा-उदल के युद्ध की साक्षी रही है।

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 38

रिजर्व बैंक के समक्ष चुनौतियां

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी स्थापना के 90 वर्ष इस हफ्ते पूरे कर लिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मंगलवार को द टाइम्स ऑफ इंडिया में अपने स्तंभ में बैंकिंग नियामक के कुछ काम बताए और यह भी बताया कि बैंक भविष्य की तैयारी कैसे करता है। देश के केंद्रीय बैंक के सफर के इस अहम पड़ाव हमें उन चुनौतियों पर चर्चा करने का मौका देता है, जो आगे उसके सामने आ सकती हैं। देश की अर्थव्यवस्था का आकार भी बीते कुछ दशकों में बहुत अधिक बदला है क्योंकि इस दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उसका जुड़ाव भी बढ़ा है। सच कहें तो रिजर्व बैंक ने तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिहाज से खुद को बेहतर तरीके से ढाला है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में यदा कदा होने वाले सामान्य मतभेदों को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने भी केंद्रीय बैंक का पूरा समर्थन किया है। उदाहरण के लिए सरकार ने 2016 में रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन किया ताकि मुद्रास्फीति को साधने में लचीला रुख रहे। यह भारत के हित में साबित हुआ है।

भावी चुनौतियों की बात करें तो अमेरिकी व्यापार नीति की धुंध ने दुनिया भर में अनिश्चितता बढ़ा दी है। ऐसे में बाहरी मोर्चे पर जोखिम बढ़ा रहेगा। भारत का चालू खाते का घाटा कम रहने की उम्मीद है लेकिन वैश्विक अनिश्चितता पूंजी की आवक को प्रभावित कर सकती है। हम बीते कुछ महीनों में ऐसा होते देख चुके हैं। रिजर्व बैंक के पास अस्थिरता से निपटने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है मगर यह स्पष्ट नहीं है कि अनिश्चितता कितनी लंबी चलेगी और वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की क्या शक्ल बनेगी। रिजर्व बैंक को भी सावधान रहना होगा। उसे अल्पावधि की अस्थिरता और दीर्घकालिक बुनियादी बदलावों में भेद करना होगा। शिकायत आ रह है कि रिजर्व बैंक रुपये की कीमत अधिक रख रहा है, जिससे व्यापार पर असर पड़ रहा है।

महंगाई काबू में रखना केंद्रीय बैंक के लिए दूसरी बड़ी चुनौती होगी। इस साल खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आने की उम्मीद है, जिससे मौद्रिक सहजता बढ़ाने की गुंजाइश बनेगी। मगर मध्यम अवधि का नजरिया बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में खाद्य महंगाई के कारण मुद्रास्फीति बढ़ी है। मौसम पर जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर कृषि उपज और कीमतों को अस्थिर कर सकता है। मौद्रिक नीति समिति को आने वाले वर्षों में खाद्य कीमतों के ऐसे झटकों पर अधिक प्रतिक्रिया देनी पड़ सकती है, जिसका असर वृद्धि पर भी पड़ सकता है। ऐसे में अपने तय अधिकार के साथ संतुलन बनाना चुनौती भरा हो सकता है।

रिजर्व बैंक को नियमन और पर्यवेक्षण में भी खुद को ढालना होगा। निजी बैंकों के हालिया घटनाक्रम उसके लिए और भी पारदर्शिता की जरूरत बता चुके हैं। नियुक्तियों को मंजूरी देते समय उसे बताना होगा कि बोर्ड की सिफारिशों से वह असहमत क्यों है और कम समय के लिए सेवा विस्तार क्यों दे रहा है। नियुक्तियों को रिजर्व बैंक की मंजूरी से गड़बड़ियों की आशंका समाप्त नहीं होती। उसे बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं की निगरानी में सुधार पर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। आने वाले वर्षों में रिजर्व बैंक को बढ़ते डिजिटलीकरण की चुनौतियों से भी निपटना होगा। डिजिटलीकरण ने वित्तीय समावेशन और सेवा गुणवत्ता बढ़ाई है मगर जोखिम भी बढ़ा है। आसानी से ऋण मिलने के कारण परिवारों पर कर्ज बढ़ सकता है। कमजोर परिवारों के साथ ऐसा ज्यादा हो सकता है। बढ़ते डिजिटलीकरण का एक अर्थ निरंतर बैंकिंग भी है और व्यवस्था में कोई भी खामी वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बन सकती है। रिजर्व बैंक को इन चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा।

(डिसक्लेमरः कोटक परिवार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है)

विनय सिन्हा

क्या प्रबंधक की भूमिका में आ रहे हैं नियामक?

विनियमित संस्थाओं की नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत नियम-कायदे उनकी स्वायत्तता घटा रहे हैं, बाजार को अस्थिर कर रहे हैं और अभूतपूर्व नैतिक समस्याएं ला रहे हैं। बता रहे हैं सीकेजी नायर और एमएस साहू

इंडसइंड बैंक में विदेशी मुद्रा देनदारी के हिसाब-किताब में हुई गड़बड़ी खबरों में खूब रही है। इससे कुछ दिन पहले ही पहले बैंक के निवर्तमान प्रबंध निदेशक को तीन साल के लिए फिर नियुक्त करने की सिफारिश ठुकराकर केवल एक साल के लिए नियुक्त किया जाना भी सुर्खियों में रहा था। इससे पहले भी बैंक ने तीन साल की दोबारा नियुक्ति की सिफारिश की थी, जिसे घटाकर एक साल कर दिया गया था। सिफारिश नकारना और गड़बड़ी होना संयोग हो सकता है मगर यह अब भी समझ नहीं आ रहा कि जिस व्यक्ति को तीन साल के लिए उपयुक्त नहीं माना गया था उसे कम समय के कार्यकाल के लायक कैसे मान लिया गया।

ऐसा ही 2023 में हुआ था, जब कोटक महिंद्रा बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक (एमडी) ने इस्तीफा दिया था। नए एमडी को आने में चार महीने थे तो बैंक ने उस बीच अंतरिम एमडी बनाने की इजाजत मांगी। मगर केवल दो महीने के लिए अंतरिम नियुक्ति की ही मंजूरी दी गई। फिर बाकी दो महीने के लिए नया अनुरोध करना पड़ा। एक ही बार में चार महीने के बजाय दो बार दो-दो महीने की इजाजत देने की तुक समझ नहीं आई।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) जैसे दूसरे वित्तीय नियामक भी ऐसा ही करते हैं। बाजार के बुनियादी ढांचे से जुड़ी संस्थाओं और बीमा कंपनियों जैसी विनियमित इकाइयों को सही उम्मीदवार चुनने में पहले लंबे-चौड़े नियमों का पालन करना पड़ता है और एमडी जैसे पद खाली होने से बहुत पहले उन पर नियुक्ति की मंजूरी लेनी पड़ती है। अगर नियामक चुने गए उम्मीदवारों के किसी कारण संतुष्ट नहीं हो तो और भी नाम मांग लेता है। मंजूरी की इस लंबी प्रक्रिया के कारण कई बार इन संस्थाओं को कुछ महीनों तक एमडी के बिना ही काम चलाना पड़ता है। कई बार तो छह महीने तक उनके पास एमडी नहीं होता।

विनियमित संस्थाओं द्वारा चुने गए उम्मीदवारों को नकारकर, नियुक्ति की अवधि घटाकर और उनका वेतन आदि बदलकर नियाकर एमडी की नियुक्ति पर अपना नियंत्रण बढ़ाते जा रहे हैं। वे निजी क्षेत्र की संस्थाओं के चेयरपर्सन, सीईओ, कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति मंजूर करते हैं और उनकी पुनर्नियुक्ति तथा सेवा विस्तार को भी हरी झंडी देते हैं। शुक्र है कि सेबी ने बाजार ढांचा संस्थाओं में अनुपालन अधिकारी, मुख्य जोखिम अधिकारी, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी और मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी जैसी अहम प्रबंधकीय नियुक्तियों को भी अपनी मंजूरी के दायरे में लाने के एक हालिया प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया।

निजी संस्थाओं को उनके निदेशक मंडल चलाते हैं और उन्हें पद खाली होने से पहले ही उन पर नियुक्ति करनी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र में अलग चुनौती हैं। संसद में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने बताया कि सार्वजनिक बैंकों में निदेशकों के 42 फीसदी पद खाली हैं। नियुक्ति में ऐसी देर और रिक्तियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया ही जिम्मेदार है, जिसमें कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी जरूरी है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।

इसका मतलब यह मान लेना है कि निजी क्षेत्र में शेयरधारक और निदेशक मंडल सार्वजनिक क्षेत्र के निदेशक मंडलों की तरह बाजार के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। फिर तो नियामक निष्पक्ष नहीं हुआ। विनियमित इकाई निजी हो या सार्वजनिक, उसके प्रदर्शन और नियामकीय नियुक्ति प्रक्रिया में कोई रिश्ता नहीं होता। सरकारी बैंकों तथा बीमा कंपनियों के सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति में नियामकों की भागीदारी होती है। अक्सर पूर्व नियामकीय अधिकारी रिटायर होने के फौरन बाद विनियमित संस्थाओं के बोर्ड में पहुंच जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति विनियमित संस्था के संचालक मंडल में है वही उसके नियामक के बोर्ड में भी है।

नियुक्ति प्रक्रिया में इतने गहरे जुड़ाव के बाद भी इंडसइंड बैंक को दोबारा नियुक्त होने से रोका नहीं गया, जबकि विदेशी मुद्रा की गड़बड़ी चल रही थी। इससे धारणा बनती है कि उन संस्थाओं को नियामक ही चला रहे हैं, जिससे प्रशासन से जुड़ी खामियों के लिए जिम्मेदार भी वही ठहराए जाते हैं और यह भ्रम भी हो जाता है कि नियामकीय मंजूरी के साथ नियुक्त लोग पद के योग्य होते ही हैं। इस कारण विनियमित संस्थाओं के प्रशासन और निगरानी में नियामक की भूमिका की व्यापक समीक्षा का सवाल खड़ा हो जाता है।

वित्तीय बाजार के समुचित संचालन और चुस्त-दुरुस्त वित्तीय तंत्र बनाए रखने के लिए वित्तीय नियामकों ने कुछ दशक पहले सीईओ की नियुक्ति का जिम्मा अपने ऊपर लिया था, जो सही भी था। वित्तीय संस्थाओं में भरोसा बढ़ाने के लिए वे 'फिट ऐंड प्रॉपर' की कसौटी लाए ताकि सर्वोच्च स्तर की निष्ठा सुनिश्चित हो सके। पंजीकरण के लिए वित्तीय सेवा प्रदाओं को इस कसौटी पर खरा उतरना होता है और उनके बड़े शेयरधारकों तथा बोर्ड सदस्यों को भी भरोसा कायम रखने की अपनी योग्यता दिखानी होती है। शुरू में 'फिट ऐंड प्रॉपर' का मतलब था ईमानदारी, नैतिकता, प्रतिष्ठा, निष्पक्षता, व्यक्तिगत चरित्र का होना और भगोड़ा, आर्थिक अपराधी अथवा देनदारी में चूक करने वाला नहीं होना था। नियामकों ने उम्मीदवारों की जांच और छंटनी की जिम्मेदारी ली क्योंकि विनियमित संस्थाओं के पास उनके अतीत की व्यापक जानकारी शायद नहीं होती।

समय के साथ इस प्रक्रिया में जांच की और परतें जुड़ती गईं और सीधे चयन के बजाय मंजूरी की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसे नियामक कोई और नाम दे सकते हैं। इस निगरानी की जद में अब नई नियुक्तियां ही नहीं आतीं बल्कि उन अधिकारियों का सेवा विस्तार भी आता है, जिनकी जांच पहले ही की जा चुकी है।

विनियमित संस्थाओं में नियुक्तियों में नियामकों की जरूरत से बड़ी भूमिका के अनचाहे परिणाम आ रहे हैं। उदाहरण के लिए नेतृत्व पर ऊहापोह संस्था की कारोबारी योजना पर असर डालती है, संचालन में चूक पर जवाबदेही का सवाल खड़ा करती है और नैतिक पतन का खतरा भी होता है। इसमें नियामकों को उन लोगों के खिलाफ कदम उठाने होते हैं, जिन्हें कुछ समय पहले ही एकदम उपयुक्त माना गया था। बताया जा रहा है कि कई प्रतिभाशाली और सक्षम पेशेवर सख्त विनियमन वाली संस्थाओं के बोर्ड में तथा नेतृत्व वाली भूमिका में आना ही नहीं चाहते। पिछले कुछ साल में इन संस्थाओं में भी प्रतिभाओं की भारी कमी हुई है। सूचीबद्ध संस्थाओं में ऐसी अनिश्चितता को बाजार भी बरदाश्त नहीं करता।

वित्तीय क्षेत्र में विनियमन ऐसा हो कि विनियमित संस्थाओं को नासमझ न समझा जाए बल्कि परिपक्व बनने दिया जाए। नियामकीय नजर सुरक्षा के लिए हो, आंतरिक संचालन की जगह लेने के लिए नहीं। जवाबदेही बोर्ड और प्रबंधन की हो और चूक होने पर उन पर कड़ा जुर्माना लगाया जाए। ऐसा संतुलित रुख ही मजबूत संचालन को बल देगा और वित्तीय क्षेत्र में लंबे समय तक स्थिरता एवं मजबूती रहेगी।

(डिसक्लेमरः कोटक परिवार द्वारा नियंत्रित संस्थाओं की बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड में महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारी है)

बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों को नया रूप दे भारत

राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा पाइपलाइन (एनआईपी) कई मामलों में गुजरे जमाने के योजना आयोग की पंचवर्षीय योजना जैसी लगती है क्योंकि यह भी देश के लिए पांच साल की क्षेत्रवार निवेश योजना बनाती है। एनआईपी की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को राष्ट्र के नाम संबोधन में की थी। एनआईपी तैयार करने के लिए आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय कार्य बल बनाया गया। वित्त वर्ष 2021 से 2025 के लिए कार्य बल की अंतिम रिपोर्ट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल, 2020 को जारी की। इसमें पांच साल के लिए बुनियादी ढांचे में 111 लाख करोड़ रुपये निवेश का लक्ष्य रखा गया था।

एनआईपी मार्च 2025 में समाप्त हो रही है, इसलिए समय आ गया है कि अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की जाए और अगले पांच वर्षों के लिए इसे नया रूप दिया जाए। एनआईपी में शामिल हरेक परियोजना 100 करोड़ रुपये से अधिक की है। इनमें नई एवं पुरानी दोनों परियोजनाओं में होने वाले निवेश शामिल हैं। एनआईपी की समीक्षा करने पर कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां मिलती हैं और कुछ क्षेत्रों में मूल योजना से भटकाव भी नजर आता है। एनआईपी की शुरुआत में सोचे गए निवेश और आंकड़े पेश करने तथा अपडेट करने की मौजूदा विधि के बीच तालमेल मुश्किल है। एनआईपी की प्रगति पर नजर रखने वाला इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड पोर्टल तत्काल अपडेट होता है। अब 168.93 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनी है, जो शुरुआत में 111 लाख करोड़ रुपये सोचा गया था।

मगर 'उपलब्धियों' के आंकड़े शुरू में चौंकाते हैं। इनके मुताबिक 11 मार्च 2025 तक कुल 31.1 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो चुका था, जो शुरू में सोचे गए 111 लाख करोड़ रुपये के निवेश का केवल 28 प्रतिशत है। यह भी सच है कि 61 प्रतिशत योजनाएं अभी क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनकी लागत 83.75 लाख करोड़ रुपये है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विचार, डिजाइन और क्रियान्वयन में चार साल से ज्यादा लग जाते हैं, इसलिए 'अधूरी परियोजनाओं' को वास्तविक पूंजी निवेश में गिनना सही रहेगा। इस तरह कुल निवेश 115 लाख करोड़ रुपये बैठेगा। इस तरह मूल योजना का 103 प्रतिशत निवेश हो जाता है! 115 लाख करोड़ रुपये का यह आंकड़ा केंद्र, राज्य, बजट के अलावा संसाधनों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र में 20 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा निवेश के सालाना अनुमान से भी मेल खाता है।

बुनियादी ढांचा
विनायक चटर्जी

बुनियादी ढांचा क्षेत्र में होने वाले कुल निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र की हिस्सेदारी करीब 80 प्रतिशत है, इसलिए निजी क्षेत्र से निवेश को बढ़ावा देना बेहद जरूरी लगा। इसे मद्देनजर रखते हुए ही 2021 के आरंभ में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) शुरू की गई। एनआईपी के साथ इसकी जुगलबंदी का सीधा मकसद पहले से मौजूद सरकारी स्वामित्व वाली सभी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों को आंशिक या पूरी तरह से निजी क्षेत्र को बेच देना था। यह काम चार साल में किया जाना है और इससे 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है।

2024-25 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार एनएमपी के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। सरकार अब तक इसके जरिये 3.86 लाख करोड़ रुपये जुटा चुकी है, जिसमें सड़क, बिजली, कोयला और खनन क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। सरकार ने वित्त वर्ष 2025 में एनएमपी के जरिये 1.91 लाख करोड़ रुपये और जुटाने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग बुनियादी ढांचे के मुद्रीकरण के लिए अगले पांच वर्ष की योजना तैयायर कर रहा है, जो अगस्त 2025 में जारी की जा सकती है। फरवरी में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संकेत दिए कि अगली राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में पांच साल के दौरान 10 लाख करोड़ रुपये की परिसंपत्तियां बेची जाएंगी।

एनआईपी को नया कलेवर देने के लिए नए लक्ष्य शामिल किए जाने का अनुमान है। अंडमान में गैलेथिया की खाड़ी से लेकर महाराष्ट्र में वधावन तक बड़े बंदरगाहों के विकास पर काम हो रहा है। नए और बड़े हवाई अड्डे भी तेजी से तैयार किए जा रहे हैं। 100 गीगावॉट परमाणु क्षमता हासिल करने के लक्ष्य के साथ परमाणु ऊर्जा में भारी निवेश की तैयारी भी चलती रहेगी।

राजमार्ग, सौर और पवन ऊर्जा में भारी भरकम निवेश तो चलता ही रहेगा, पंप भंडारण परियोजनाओं और ट्रांसमिशन तथा वितरण नेटवर्क में भी नया निवेश तेजी से आएगा। इसके अलावा अगली एनआईपी में स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे सामाजिक ढांचे, डिजिटल ढांचे और कृषि क्षेत्र में निवेश पर ज्यादा जोर दिए जाने की संभावना है।

इस तरह भारत बुनियादी ढांचे के लिए योजना तैयार करने के अपने सफर में एक बार फिर अहम पड़ाव पर खड़ा है, जहां नए रूप में आ रहे एनआईपी और एनएमपी भविष्य की राह तय करेंगे।

(लेखक बुनियादी ढांचा विशेषज्ञ हैं। आलेख में वृंदा सिंह ने भी योगदान किया है)

आपका पक्ष

देश में जल संरक्षण के प्रति गंभीर हों लोग

जल संरक्षण एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस पर जोर देना सराहनीय है। मन की बात कार्यक्रम में उनके द्वारा जल संरक्षण का आह्वान करना और बताना कि सरकार के प्रयासों से 8 वर्षों में 1,100 करोड़ क्यूबिक लीटर पानी बचाया गया है, यह एक प्रेरक बात है। यह भी सच है कि देश में पानी की बरबादी एक बड़ी समस्या है। कई लोगों को दूर से पानी लाना पड़ता है और बड़े शहरों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। ऐसे में जल संरक्षण की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। जल संरक्षण के लिए हमें अपनी दैनिक आदतों में बदलाव लाने होंगे। हमें पानी की बरबादी को रोकने के लिए कदम उठाने होंगे। हमें जल संरक्षण के लिए समाज में जागरूकता फैलानी होगी। हमें लोगों को बताना होगा कि जल संरक्षण क्यों महत्त्वपूर्ण है और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार को भी जल संरक्षण के लिए कदम उठाने होंगे। सरकार को पानी की बचत के लिए योजनाएं बनानी होंगी और जल संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों का आवंटन करना होगा। बारिश में बहने वाले पानी का 50 प्रतिशत भी संरक्षित कर लिया जाए तो 12 महीने पानी मिल सकता है। नदी के आसपास लगे उद्योगों के लिए भी छोटे स्टॉप डेम बनाकर जल संग्रहण अनिवार्य किया जाना चाहिए।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दूर से पानी लाना पड़ता है और बड़े शहरों में पानी की किल्लत शुरू हो गई है

जल की बरबादी रोकने की सख्त जरूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में जल संरक्षण की बात कही है। देश में जल संकट गहराता जा रहा है। पंजाब में भूजलस्तर गिर रहा है। कुछ समय पहले नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था कि पंजाब में मात्र 17 वर्षों के लिए ही पानी बचा है। यह सरकार के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए यह चिंता का विषय है। जल की समस्या किसी एक राज्य की नहीं बल्कि सभी राज्य इससे परेशान होते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2030 तक 40 प्रतिशत आबादी के पास पीने का साफ जल उपलब्ध नहीं होगा जो काफी चिंताजनक है। जल संकट दुनिया भर के लिए भी चिंता का विषय है। जल की बरबादी रोक कर इसे संरक्षित कर समस्या का समाधान संभव है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

कड़े कानून और निरंतर निगरानी की दरकार

वैसे तो भ्रष्टाचार लाइलाज मर्ज है पर ऑनलाइन लेनदेन निरंतर बढ़ने से इस पर एक सीमा तक अंकुश लगा है। जांच एजेंसियों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप कम होने का असर भी दिख रहा है। देश में जांच एजेंसियां मिलकर काम नहीं करती, इनमें विरोधाभास भी दिखाई देता है। भ्रष्ट व्यक्ति के भगोड़ा बन जाने पर सख्त कानून की जरूरत है। सार्वजनिक नीलामी की व्यवस्था सार्वत्रिक नहीं होने से गुपचुप सौदों पर नियंत्रण नहीं होता है। पारदर्शिता समस्त शासकीय कारोबार में सुनिश्चित करना अब भी एक चुनौती है। निगरानी को बिना अतिरिक्त समय गंवाए बहुस्तरीय होना चाहिए। अगर तालमेल हो तो परिणाम तक पहुंचने में आसानी होगी।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक (बाएं) ने दोनों देशों के बीच विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए। चिली की सांस्कृतिक मंत्री कैरोलीना एरेडोंडो (बाएं) और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दूसरे को करार पत्र प्रदान किए।

यदि यमुना को संवार दे दिल्ली

पहले नदियों के किनारे ही नगर बहुत शालीनता से बसते थे। नदी न होती, तो कई नगर भी न बसते, पर अब लगता है, नगर कुछ बेशर्म हो गए हैं, तभी तो नदियों पर खतरे मंडराने लगे हैं। यह व्यथा-कथा न जाने कितने नगरों-नदियों के साथ दोहराई जा रही है? देखिए तो सही, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का क्या हाल है? पेश है सौम्या लखानी, जसजीव गांधीओक और पारस सिंह की खास रिपोर्ट...

ओखला बैराज तक पहुंचते यमुना की स्थिति बहुत खराब हो जाती है और पानी सफेद झाग व गंदगी का शिकार हो जाता है।

मशहूर शायर मिर्जा गालिब के बल्लीमारान में बसने से बहुत पहले, चांदनी चौक इलाके में ऐसे परिवार रहते थे, जो नहर-ए-फैज में नाव चलाने के लिए बल्ली मतलब लंबे बांस का इस्तेमाल करते थे। बादशाह शाहजहां ने शाहजहानाबाद में यमुना का पानी लाने के लिए यह नहर बनवाई थी। माना जाता है कि चूंकि बल्ली मारने वाले यहां रहते थे, इसलिए इस इलाके का नाम बल्लीमारान पड़ा, जो अब दिल्ली का एक व्यस्त थोक बाजार है।

यमुना नदी का दिल्ली शहर से ऐसा रिश्ता है कि कभी यह सूख गई, गंदी व काली हो गई, कभी सफेद दिखने लगी, राजनीतिक लड़ाई और अधूरे चुनावी वादों का शिकार हो गई, तब भी यह नदी हमेशा इस महानगर और इसके लोगों के बीच संवाद या बोलचाल का हिस्सा है।

यह बात छिपी नहीं है कि दिल्ली में महज 50 किलोमीटर बहते हुए यह नदी हिमालय की एक प्राचीन नदी से एक बेजान, जहरीली नहर में बदल जाती है। सरकारों और एजेंसियों द्वारा किए गए बड़े-बड़े वादों और महत्वाकांक्षी योजनाओं के बावजूद, यमुना नदी जीवन रक्षक प्रणाली पर टिकी हुई है, उपेक्षा और प्रदूषण के कारण यह अपनी पुरानी गौरवशाली पहचान खो चुकी है। कई बार लगता है, यह सिर्फ नाम की नदी रह गई है, इसका पानी अब मानवीय उदासीनता का एक भयावह प्रमाण है।

तमाम शिकायतों और परेशानियों के बावजूद दिल्ली के लिए यमुना हमेशा से एक नदी से कहीं बढ़कर रही है। यह शहर की जीवनदायिनी है, जो इसके इतिहास, भूगोल, संस्कृति और यहां तक कि भाषा-बोली में भी समाई हुई है। इसने कई साम्राज्यों को उभरते और ढहते देखा है। इसने अनेक संस्कृतियों को पोषित किया है और सदियों से कवियों और कलाकारों को प्रेरित करती रही है।

अभी राजधानी ने दो साल पहले ही, जून की एक सुबह देखा कि नदी उफान पर थी और अपनी पुरानी राह पर लौट आई थी, नदी लाल किले के साथ-साथ बह रही थी, जैसा शाहजहां ने 17वीं शताब्दी के मध्य में इसे बनवाते समय देखा था। दिल्ली के कई महान कस्बे या छोटे-छोटे शहर यमुना के बगल में बने थे। 14वीं शताब्दी में फिरोजाबाद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था (अब केवल कोटला बचा है)। 16वीं शताब्दी में मुगल शासक हुमायूं ने दीन पनाह की स्थापना की (अब केवल पुराना किला बचा है) और फिर 17वीं शताब्दी में मुगल शासक शाहजहां ने शाहजहानाबाद का निर्माण कराया था।

यमुना के पास शहर बनाने की सबसे महत्वपूर्ण वजह यह थी कि यह नदी परिवहन का एक प्रमुख माध्यम थी। रेलवे से पहले के युग में भारी सामान नदी के रास्ते ही ढोया जाता था। दूसरे, नदी का उपयोग नहाने के लिए किया जाता था। तब नदी लोगों की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा थी। लोग मछली पकड़ते थे, तैराकी प्रतियोगिताएं होती थीं। हालांकि, मगरमच्छों की मौजूदगी के कारण यह काफी खतरनाक था! नदी का रेतीला किनारा सामाजिक स्थान हुआ करता था, जहां मेले, हाथियों की लड़ाई, पतंग उड़ाने की प्रतियोगिताएं होती थीं।

इतिहासकार और लेखिका डॉक्टर स्वप्ना लिडल बताती हैं कि आजकल जिस इलाके में लाल किला पार्किंग है, वहां मछुआरे मछलियां बेचा करते थे। 19वीं सदी तक नदी ने अपना रास्ता थोड़ा बदलना शुरू कर दिया था। यहां यमुना बाजार भी है, जो निगमबोध घाट और उसके आसपास के इलाकों से लगे यमुना के 32 पुराने घाटों का इलाका है। यहां मंदिर, धर्मशालाएं, गौशाला, पुजारियों के घर के साथ-साथ अवैध झुग्गियां भी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इलाके का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। यमुना घाट पंडा एसोसिएशन के पुजारी और कोषाध्यक्ष सुनील शर्मा बताते हैं कि हमारे पूर्वज पहले लाल किले के पास रहते थे, जब नदी किले के ठीक बगल से बहती थी। मूल श्मशान घाट मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर के पास स्थित था और इस पूरे क्षेत्र को निगमबोध क्षेत्र कहा जाता था। उन्होंने बताया कि घाट 1902 में और 1932 में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान फिर से बनाए गए। शर्मा बताते हैं कि क्षेत्र का सबसे पुराना मंदिर नीली छतरी मंदिर है। मिथक है कि इस मंदिर की उत्पत्ति पांडवों के समय हुई थी।

यहां तक कि अंग्रेजों द्वारा रायसीना हिल्स पर राजधानी बनाने का फैसला भी आंशिक रूप से नदी के कारण ही लिया गया था। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर कल्चरल हेरिटेज (इंटैक) में प्राकृतिक विरासत प्रभाग के प्रमुख निदेशक मनु भटनागर कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने दिल्ली को राजधानी बनाने की योजना बनानी शुरू की, तो शाहजहानाबाद के उत्तर में एक जगह का चयन किया गया, जहां 1912 में राज्याभिषेक स्मारक बनाया गया था, पर उसी साल बाढ़ आ गई, जिससे अंग्रेजों का हौसला टूट गया और लुटियन दिल्ली को रायसीना हिल्स पर स्थापित किया गया।

पहले यमुना के पश्चिमी किनारे पर ही दिल्ली बसी थी। साल 1947 के बंटवारे के बाद जब पश्चिमी पाकिस्तान से शरणार्थी दिल्ली आए, तो यमुना पार इलाके में पुनर्वास कॉलोनियां बसने लगीं - कृष्णा नगर, गांधी नगर और प्रीत विहार। लोगों का अगला आगमन 1975 में हुआ। आपातकाल के बाद त्रिलोकपुरी और वेलकम जैसी कॉलोनियां बसाई गईं, जबकि 1980 के दशक में भारत के नए-नए मध्यम वर्ग के लिए दलदली पटपड़गंज में अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनने लगे।

भटनागर बताते हैं कि 1971 तक यमुना पर फेरी चलती थी। वजीराबाद में फेरी वाली नावें पूरे साल ग्रामीणों और उनके माल का परिवहन करती थीं। 1976 के गजेटियर द्वारा किस तरह एक नाटकीय बदलाव देखा गया और एक जलमार्ग के रूप में नदी का कोई महत्व नहीं रह गया।

भटनागर बताते हैं कि नौकायन, हालांकि, शहर का पसंदीदा शगल बना हुआ है। कभी ओखला नौकायन क्लब में 35-40 नावें थीं। यह क्लब दौड़ का भी आयोजन करता था। उन्होंने उल्लेख किया कि सेंट स्टीफंस और हिंदू जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों के अपने नाव क्लब थे और कैसे कुछ छात्र वजीराबाद से कुदसिया बाग या ओखला तक नाव चलाते थे। उन्होंने बताया कि उस समय यमुना में कम से कम 65 किस्म की मछलियां हुआ करती थीं और अब मुश्किल से चार किस्म की रह गई हैं। शहर के साथ नदी के रिश्ते के बारे में भटनागर कहते हैं कि शहर नदी से ही बना है...अगर नदी न होती, तो बहुत कुछ नहीं होता।

अफसोस, यमुना अब दिल्ली महानगर का पिछवाड़ा भर रह गई है। इस पर लोगों की प्रत्यक्ष निर्भरता कम हो गई है। यहां कोई भी अब नाव से यात्रा नहीं करता है। पुलों को ऐसे डिजाइन किया गया है कि पुलों से गुजरते हुए यमुना नहीं दिखती है। अब नदी की तरफ कोई देखता ही नहीं है, लेकिन नदी अभी भी अपनी जगह कायम है, जिसमें कभी कम, तो कभी ज्यादा पानी बहता रहा है। कहते हैं कि जब तक यह नदी है, तब तक दिल्ली है।

जब दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले 800 गज लंबे ओखला बैराज से नदी का काला पानी गिरता है, तो सफेद झाग बनता या बढ़ता है। 19वीं सदी के इस बैराज ने पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और बाद में उत्तर प्रदेश के नोएडा का विकास देखा है और इसके पास ही एक पक्षी अभयारण्य भी है, लेकिन यहां यमुना का हाल अब सबसे खराब है।

नदी में झाग बनना एक लक्षण है, जो दर्शाता है कि इस हिस्से में नदी प्रभावी रूप से मर चुकी है। कालिंदी कुंज में झागदार नदी के किनारे 65 वर्षीय नाविक लंबू रहते हैं, जिनकी आजीविका खतरे में है, वह बताते हैं, मैं यहां 26 साल से रह रहा हूं। पहले, हमें भरपूर मछलियां मिलती थीं, लेकिन अब नदी व्यावहारिक रूप से मर चुकी है और मछलियां भी अब ऐसे पानी में जीवित नहीं रह सकतीं। मैंने कई सरकारों को आते-जाते देखा है। सभी ने वादे किए, लेकिन पानी की स्थिति और खराब होती चली गई है। अब दिल्ली में नई उम्मीद जगी है।

Hindustan Times

किसने गंदा किया?

पिछले महीने डीपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार, नजफगढ़ नाला, जिसे साहिबी नदी कहते थे, अब सबसे बड़ा प्रदूषण वाहक है। यह नदी में 69.77 प्रतिशत अपशिष्ट जल छोड़ता है। इसके बाद शाहदरा नाला (16.12 प्रतिशत), बारापुला नाला (4.92 प्रतिशत), पावर हाउस नाला (4.16 प्रतिशत), आईएसबीटी नाला (1.47 प्रतिशत), सेन नर्सिंग होम नाला (1.47 प्रतिशत) है।

कितना गंदा किया?

फरवरी की डीपीसीसी रिपोर्ट – नदी के लिए नवीनतम जल गुणवत्ता डाटा – से पता चलता है कि असगरपुर में फेकल कोलीफॉर्म का स्तर, जहां नदी दिल्ली से निकलती है, प्रति 100 मिलीलीटर में 16 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया, जो निर्धारित सीमा से 6,400 गुना अधिक है। पल्ला में फेकल कोलीफॉर्म का आंकड़ा 1,300 था, जो निर्धारित सीमा के भीतर ही है।

कितनी हुई सफाई?

पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी सीवेज या अपशिष्ट यमुना तक न पहुंचे। यमुना को साफ करने के प्रयास में दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) प्राथमिक उपकरण हैं। दिल्ली में अनुमानित सीवेज उत्पादन 792 एमजीडी है। दिल्ली में 20 स्थानों पर 37 एसटीपी हैं, जिनकी स्थापित क्षमता 667 एमजीडी पानी के उपचार की है, पर 565 एमजीडी का ही शोधन हो पाता है।

50
किलोमीटर का सफर दिल्ली महानगर में तय करती है यमुना।

22
प्रमुख नालों का दिल्ली में होता है नदी से जहरीला मिलन।

पल्ला से असगरपुर

दिल्ली से होकर गुजरने वाली यमुना का लगभग 50 किलोमीटर लंबा रास्ता पल्ला से शुरू होता है। यमुना पल्ला और वजीराबाद के बीच काफी साफ है और इसका पानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा निर्धारित स्नान के मानकों को पूरा करता है। उसके बाद नदी पर 22 प्रमुख नालों के हमले का मतलब है कि दिल्ली का अधिकांश सीवेज और अपशिष्ट ओखला बैराज तक नदी के पानी में शामिल हो जाता है। अफसोस, यमुना नदी अपने सबसे खराब रूप में दिल्ली से बाहर निकलती है।

साफ घाटों पर आरती की मजबूत होती परंपरा

यमुना नदी के घाट आज भी अनेक अवसरों पर जीवन के मंच का काम करते हैं। भोर की प्रार्थना हो या शाम की विदाई, जन्म हो या मरण, लोग नदी किनारे आज भी जुटते हैं। नदी से लोगों की आस्था जुड़ी है। शायद यही वजह है कि 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद रेखा गुप्ता और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्य दिल्ली सचिवालय से निकलकर सीधे कश्मीरी गेट के पास वासुदेव घाट पर यमुना आरती के लिए पहुंच गए और यमुना की सफाई का संकल्प दोहराया। घाट के पास ही जन्मे पुजारी रणवीर गिरि बताते हैं कि घाटों की रक्षा नहीं की गई, तो लोगों का नदी से जुड़ाव खत्म हो जाएगा। मेरे माता-पिता ने मुझे बताया है कि यमुना जी पहले कितनी साफ थीं। हमने उसके साथ जो किया, वह दिल दहला देने वाला है।

हमारे शहर अपनी नदियों को निखारने पर ध्यान दें

पटना का गंगा घाट

गंगा किनारे बसा पटना ऐतिहासिक नगर है, पर यहां गंगा का हाल बहुत अच्छा नहीं है। नमामि गंगे परियोजना के तहत छह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) स्थापित किए गए थे, पर हकीकत यह है कि एसटीपी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। पिछले साल तक स्थापित एसटीपी की क्षमता करीब 350 एमएलडी थी, लेकिन पटना में प्रतिदिन 700 एमएलडी से अधिक गंदा पानी निकलता है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बीएसपीसीबी) की वार्षिक रिपोर्ट (2023-24) के अनुसार, गंगा सहित बिहार की 22 नदियों का पानी नहाने लायक भी नहीं है। बिहार के 27 जिलों से होकर बहने वाली गंगा और उसकी 21 सहायक नदियों का पानी भी ज्यादातर समय नहाने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है।

लखनऊ में वजूद के लिए जूझती नदी गोमती

कभी गोमती नदी लखनऊ की शान हुआ करती थी। गोमती के किनारे सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर चार प्रमुख शहरी बस्तियां हैं। इस पूरे इलाके में अनुपचारित अपशिष्ट जल 45 से अधिक प्रमुख नालों के माध्यम से गोमती में ही गिर जाता है। विभिन्न शहरों और औद्योगिक इकाइयों से निकला अपशिष्ट जल गोमती की सेहत को प्रभावित कर देता है। सिंचाई विभाग द्वारा 2016 और 2019 में किए गए जल गुणवत्ता के एक आकलन से क्रमशः लखनऊ और जौनपुर में प्रदूषण के उच्च स्तर का पता चला था। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की भारी मात्रा के कारण गोमती नदी ने अपनी स्वाभाविक शुद्धिकरण की प्रकृति खो दी है, जिससे उसमें जीवाणुओं की अधिक वृद्धि हुई है। अपशिष्टों को नदी में मिलने से रोकना सबसे जरूरी है।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : वाणी में मधुरता रहेगी। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा।

वृष : मन में शांति और प्रसन्नता रहेगी। परंतु फिर भी बातचीत में संतुलित रहें। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से आय में वृद्धि हो सकती है।

मिथुन : आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। मन परेशान रहेगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। खर्च की अधिकता रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

कर्क : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। संतान की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में सुधार होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे।

सिंह : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। संयत रहें। शांति बनाए रखने के प्रयास करें। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति होगी।

कन्या : आत्मसंयत रहें। क्रोध व आवेश के अतिरेक से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। वस्त्र उपहार में मिल सकते हैं।

तुला : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी हो सकता है। माता-पिता की सेहत का ध्यान रखें। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। आय में कमी व खर्च अधिक संभव।

वृश्चिक : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। सेहत का ध्यान रखें।

धनु : मन अशांत रहेगा। आत्मसंयत रहें। क्रोध से बचें। नौकरी में व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में बढ़ोतरी हो सकती है।

मकर : मन प्रसन्न रहेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी। परंतु सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित रहेगा। खर्चों में वृद्धि होगी।

कुंभ : मन परेशान रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार के लिए माता व कुटुंब के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।

मीन : शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान मिल सकता है। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त होंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। यात्रा खर्च बढ़ेगा।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

02 अप्रैल, बुधवार, शक संवत्: 12 चैत्र (सौर) 1947, पंजाब पंचांग: 19 चैत्र मास प्रविष्टे 2082, इस्लाम: 03 शव्वाल 1446, विक्रमी संवत्: चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि रात्रि 11.50 मिनट तक। कृतिका नक्षत्र प्रातः 08 बजकर 50 मिनट तक तदनंतर रोहिणी नक्षत्र, बव करण। चंद्रमा वृष राशि में (दिन-रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। वसंत ऋतु। दोपहर 12 बजे से दोपहर 01 बजकर 30 मिनट तक राहुकालम्। श्री (लक्ष्मी) पंचमी। नाग पंचमी। हय व्रत।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कृपया यह बताएं कि नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के क्या नियम हैं?
–रीता शर्मा, कन्नौज

- जब भी आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले हाथ जोड़कर प्रणाम करें। दुर्गा सप्तशती को किसी सजी हुई चौकी पर या फिर लाल रंग के कपड़े पर रखें।
- हाथ में दुर्गा सप्तशती लेकर माता से पाठ करने की आज्ञा लें। पाठ पूरा करने का संकल्प लें। पाठ को बीच में छोड़कर उठे नहीं, रोके नहीं।
- जितनी देर आपका पाठ चलता है उतनी देर एक घी का दीपक मंदिर में मां के आगे जलाकर रखें। पाठ में शब्दों का उच्चारण स्पष्ट हो। गति न तेज, न धीमी हो।

वर्ग पहेली : 7923

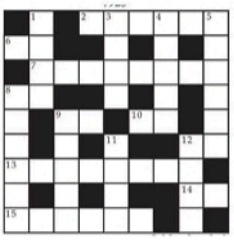

ऊपर से नीचे
1. फलना फूलना; हरा भरा होना (4)
3. प्रकाशित की गई सूचना; प्रचार पत्र; सूचना पत्र; इश्तिहार (4)
4. बलवान; शक्तिशाली; दृढ़; भयंकर (5)
5. आज्ञापालन करना; इच्छा पूरी करना; बात मानना (3,3)
8. बहुत भारी; विशालकाय (2,4)
9. शत्रु का नाश करने वाला; विजेता (5)
11. विवाद; झगड़ा (4)
12. अनेक प्रकार से किया हुआ (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

बाएं से दाएं
2. आरामदायक; सुभीते वाला; सुविधा वाला; सहज (6)
6. चुप रहने की स्थिति; ध्वनिहीनता (2)
7. आदर करना; खूब चाहना (3,2,3)
8. अच्छा लगना; पसंद आना; शोभा देना (2)
9. खाली; रीता; शून्य; सूना (2)
10. अदृश्य; डूबा हुआ; तिरोहित; लोप (2)
12. विविध; अनेक; मातामह (2)
13. किसी तरह पीछा छुड़वाना; झगड़ा खत्म करवाना; फैसला करवाना; शांत करवाना (2,2,4)
14. अंत; मृत्यु; समय (2)
15. चिंतन करना; विचार करना; अध्ययन करना (3,3)

वर्ग पहेली : 7922

सुडोकू : 7905

* कठिन

			3			6	9	
	3	8			9	2		
	6				2	4		
5			1				2	
	9				3			4
		4	6				8	
		5	8			1	7	
	8	6			1			

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 7904

3	9	5	7	8	1	2	4	6
7	8	2	3	6	4	5	9	1
4	1	6	5	9	2	8	3	7
2	4	3	9	5	6	7	1	8
8	5	1	4	7	3	9	6	2
9	6	7	2	1	8	3	5	4
5	2	9	6	4	7	1	8	3
6	7	8	1	3	9	4	2	5
1	3	4	8	2	5	6	7	9

दैनिक जागरण
कुसंग का ज्वर सबसे घातक होता है

वक्फ पर फैसले का वक्त

वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की सरकार की तैयारी पर विपक्षी दलों के अतार्किक रवैये को देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि उसने अंधविरोध का रास्ता अपना लिया है। सभी इससे परिचित हैं कि मौजूदा वक्फ कानून के चलते वक्फ बोर्ड केवल मनमाने अधिकारों से ही लैस नहीं हैं, बल्कि उनकी भ्रष्ट कार्यप्रणाली के चलते वक्फ संपत्तियों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग भी हो रहा है और इसी कारण लाखों करोड़ रुपये की उसकी संपत्तियों का कोई लाभ निर्धन मुसलमानों को नहीं मिलता। ऐसे मुस्लिम निर्धन परिवारों के बारे में जानना कठिन है, जिन्हें वक्फ बोर्डों से किसी तरह की कोई सहायता मिली हो। आखिर ऐसे किसी कानून में कोई संशोधन-परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए, जो अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में नाकाम हो? होना तो यह चाहिए था कि विपक्षी दल ऐसे सुझाव लेकर सामने आते, जिससे वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली सुधरती, लेकिन उनके नेताओं ने कुल मिलाकर इससे इन्कार ही किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति में शामिल विपक्षी दलों के सांसदों ने कोई ठोस सुझाव देने के स्थान पर उसमें हंगामा-हल्ला ही अधिक किया। इस समिति का कार्यकाल भी बढ़ाया गया, लेकिन विपक्षी नेता इसी कुतर्क को दोहराते रहे कि वक्फ कानून में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं। वे इसके बाद भी ऐसा कह रहे थे, जब वक्फ बोर्डों की मनमानी कार्यप्रणाली के अनेक चौंकाने वाले समाचार कर्नाटक, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों से आ रहे थे।

वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्षी दलों का व्यवहार तुष्टीकरण और वोट बैंक की क्षुद्र राजनीति का ही परिचायक है। इसी राजनीति के चलते वे कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ इस दुष्प्रचार को हवा देने में लगे हुए हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य मस्जिदों, मदरसों आदि की जमीन पर कब्जा करना है। विपक्षी नेता यह देखने से भी साफ इन्कार कर रहे हैं कि किस तरह अनेक मुस्लिम संगठन वक्फ बोर्डों के कामकाज में सुधार की आवश्यकता जता रहे हैं। विपक्ष की ओर से दिया जा रहा यह तर्क हास्यास्पद ही है कि मौजूदा वक्फ कानून में किसी तरह का संशोधन नहीं हो सकता। आखिर जब इस कानून में पहले भी संशोधन होते रहे हैं, तो देश, काल और परिस्थितियों के हिसाब से उसमें फिर से संशोधन क्यों नहीं हो सकते? वक्फ विधेयक पर विपक्ष के दुराग्रह भरे रवैये को देखते हुए सरकार के लिए आवश्यक केवल यह नहीं है कि लोकसभा और फिर राज्यसभा में उस पर व्यापक बहस हो। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि वह वक्फ विधेयक को लेकर हो रहे दुष्प्रचार के खिलाफ भी सक्रिय हो, ताकि लोगों को गुमराह कर उन्हें सड़कों पर उतारने वालों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।

सुधार की प्रक्रिया

सरकारी स्कूलों की पढ़ाई और बेहतर हो, इसके लिए बिहार सरकार ने कमर कस ली है। सभी 38 जिलों में निरीक्षण के लिए वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई है। अफसर जिलों का दौरा कर जांचेंगे कि वहां की पढ़ाई कैसी है। बच्चों को पढ़ाया जा भी रहा है या सिर्फ मिड-डे मील के लिए स्कूल का संचालन किया जा रहा है। बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, शिक्षकों की हाजिरी आदि को आधार बनाकर स्कूलों की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े स्कूलों में सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यह बेहतर कदम है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर और ऊंचा उठेगा। पूर्व में किए ऐसे ही प्रयासों से हाल के वर्षों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ भी है। धड़ल्ले से नकल करते परीक्षार्थियों, चरवाहा विद्यालय से इतर आज राज्य के सरकारी स्कूलों की पढ़ाई किसी भी राज्य से कमतर नहीं। सरकारी स्कूलों से पास करने वाले बच्चे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। साल दर साल टापर्स लिस्ट का आकार बढ़ रहा। दूसरे बोर्ड के टापर्स से सरकारी स्कूलों से पास दसवीं-बारहवीं के टापर्स के अंकों के प्रतिशत का अंतर लगातार घट रहा। निश्चित तौर पर लगातार निरीक्षण से शिक्षकों में अनुशासन बना रहेगा और वह पढ़ाई में लापरवाही बरतने से बचेंगे। सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने वाले अभिभावकों को यह मलाल नहीं रहेगा कि वह मजबूरी में अपने बच्चों को निजी स्कूल नहीं भेज पा रहे।

सरकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए अफसरों की तैनाती बेहतर कदम है

जम्मू-कश्मीर में दम तोड़ता अलगाववाद

दिव्य कुमार सोती

अनु. 370 की समाप्ति के बाद हुई सख्ती से कश्मीर में राष्ट्रविरोधी नेताओं को या तो जेल में रहना पड़ रहा है या भारत के प्रति निष्ठा की कसमें खानी पड़ रही हैं

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में संसद को एक सुखद सूचना दी। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी संगठन हुर्रियत कांफ्रेंस के कुछ धड़ों ने भारत के प्रति निष्ठावान रहने का निर्णय किया है। इन गुटों में कश्मीर के सबसे कट्टरपंथी और पाकिस्तानपरस्त समझे वाले नेता सैयद अली शाह गिलानी के राजनीतिक उत्तराधिकारी मोहम्मद शफी की पार्टी डेमोक्रेटिक पीपुल्स मूवमेंट भी शामिल है। यह परिवर्तन दर्शाता है कि कश्मीर के कट्टरपंथी अलगाववादी इस्लामिक गुटों पर अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद से की गई सख्ती के अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद सरकार ने हुर्रियत में शामिल कई अलगाववादी गुटों पर अवैध गतिविधि निवारण अधिनियम यानी यूएपीए के अंतर्गत प्रतिबंध लगा दिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान से और विभिन्न प्रकार की अवैध गतिविधियों से प्राप्त होने वाले काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए भी कठोर कार्रवाई की गई। गत 12 मार्च को ही मीरवाइज उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाकर स्पष्ट संकेत दिया गया कि कश्मीर में अलगाववाद की कोई दुकान चलने नहीं दी जाएगी, चाहे उसे चलाने वाला कितना ही बड़ा नाम क्यों न हो। इस बीच अमित शाह ने कई बार दोहराया कि अनुच्छेद 370 की किसी भी सूरत में वापसी नहीं होने वाली। उनके और मोदी सरकार के इस संकल्प ने अलगाववादियों का मनोबल तोड़ने का काम किया है। इसका यह नतीजा निकला है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाले कश्मीरी मुस्लिम नेताओं को समझ आ गया कि यदि राजनीतिक वजूद बनाए रखना है तो अलगाववादी राजनीति को छोड़ना ही होगा।

मोदी सरकार की यह नीति मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार के एकदम उलट है। मनमोहन सरकार तो हुर्रियत के धड़ों में यही ढूंढ़ने का प्रयास करती थी कि उनमें नरम अलगाववादी कौन हैं। मनमोहन सरकार ने संभवतः उन्हें नरम अलगाववादी माना जो कश्मीर की आजादी का राग तो छेड़ते थे, परंतु सीधे तौर पर पाकिस्तान में शामिल होने की बात नहीं करते थे। मनमोहन सरकार ने कभी यह सोचा ही नहीं कि कश्मीर की आजादी कभी संभव नहीं हो सकती, क्योंकि भारत से अलग होते ही पाकिस्तान बलात उस पर कब्जा कर लेगा। नरम अलगाववाद को हवा देने वाली मनमोहन सरकार की इस विवेकशून्य नीति के दायरे में यासीन मलिक तक आ गए थे। उस दौर में ऐसे आतंकी की प्रधानमंत्री आवास पर मेहमाननवाजी की जाती थी।

कानून के कसते शिकंजे से अलगाववादी नेताओं को बदलना पड़ रहा रवैया। फाइल

जब भारत सरकार ही हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं को कश्मीर पर चर्चा के लिए बुलाकर उन्हें कश्मीरियों के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता देती थी तो पाकिस्तान भी द्विपक्षीय वार्ता में हुर्रियत को पक्ष बनाने की जिद करता था। दिलचस्प बात यह थी कि हुर्रियत चुनावों का बहिष्कार करती थी, फिर भी उसे कश्मीरियों का प्रतिनिधि माना जाता था। स्पष्ट है कि सड़कों पर दंगा-फसाद करने की हुर्रियत की क्षमता से ही उसे कश्मीरियों का प्रतिनिधि मान लिया गया था। इसके चलते भारत को गालियां देने और स्वयं को पाकिस्तानी बताने वाले सैयद अली शाह गिलानी जैसे हुर्रियत नेताओं की दिल्ली में खूब आवभगत होती रही। उनका इलाज भी भारत के बेहतरीन अस्पतालों में कराया जाता था। उनके बच्चों की पढ़ाई भी नामी-गिरामी देसी-विदेशी संस्थानों में होती रही।

अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद हुर्रियत के वे सुनहरे दिन लद गए। अब हुर्रियत के राष्ट्रविरोधी नेताओं को जेल में रहना पड़ रहा है या फिर भारत के प्रति निष्ठावान रहने की कसमें खानी पड़ रही हैं। यह सब साबित करता है कि दशकों तक इन अलगाववादियों को लेकर अपनाई लचर नीतियों ने ही कश्मीर में अलगाववाद को मजबूत किया था। इस आलोक में पूर्ववर्ती सरकारों की पाकिस्तान नीति की भी तुलनात्मक समीक्षा आवश्यक है। बार-बार भारत में आतंकी हमले कराने के बावजूद पाकिस्तान से बात इसलिए की जाती थी, क्योंकि सरकारें कहीं न कहीं मानती थीं कि पाकिस्तान में ही यह क्षमता है कि वह हुर्रियत और जिहादी आतंकी संगठनों के जरिये जब चाहे कश्मीर को अस्थिर कर सकता है। लिहाजा उससे बात करते रहना आवश्यक है। ऐसा करने पर होता यह था कि द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के कुछ समय बाद ही पाकिस्तान वार्ता की मेज पर दबाव बनाकर लाभ हासिल करने के लिए और बड़े आतंकी हमले कराता था। यह दुष्चक्र दशकों से अनवरत चल रहा था। मोदी सरकार ने उड़ी आतंकी हमले के बाद से इसके ठीक विपरीत नीति अपनाते हुए पाकिस्तान से केवल बातचीत ही बंद नहीं की, बल्कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदम उठाने से भी परहेज नहीं किया। इतना ही नहीं भारत ने पाकिस्तान की परमाणु हौव्वे की हेकड़ी भी निकाल दी।

पाकिस्तान से वार्ता बंद करने का दूसरा लाभ यह हुआ कि पूरे विश्व में भारत-पाकिस्तान का नाम एक साथ जोड़ने की कूटनीतिक संस्कृति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब पाकिस्तान भारत का समकक्ष नहीं रहा। अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत का नाम अब चीन और रूस जैसे शक्तिशाली देशों के साथ लिया जाता है। द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से भी देखें तो पाकिस्तान को दबाव में बनाए रखने और अधिक भाव न देने की नीति इस अर्थ में भी कारगर रही कि सीमा पर हिंसक घटनाएं कम हुई हैं। 2020 में चीन द्वारा पूर्वी लद्दाख में सैन्य मोर्चा खोलने के समय भी पाकिस्तान ने पश्चिमी मोर्चे पर कोई आक्रामक मुद्रा नहीं अपनाई। उलटे इस तनाव के बीच ही 2021 में उसने भारत के साथ नियंत्रण रेखा को लेकर संघर्षविराम की घोषणा कर दी, जो अभी तक जारी है। चूंकि पाकिस्तान अब भारत को लेकर अपनी जनता का ध्यान भटकाने में सक्षम नहीं रहा, इसलिए वहां आम जन का ध्यान अब घरेलू मुद्दों की ओर जाने लगा है। आंतरिक मोर्चे पर सशस्त्र अलगाववाद एवं असंतोष ने भी पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

(लेखक काउंसिल आफ स्ट्रैटेजिक अफेयर्स से संबद्ध सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

अभिव्यक्ति की आजादी के फर्जी चैंपियन

राजीव सचान

कुणाल कामरा जैसे कामेडियनों के पीछे पड़ना एक तरह से उनका मुफ्त में प्रचार करना और खुद की फजीहत कराना ही है

कामेडियन कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस कमर कसे हुए है। इसका पता इससे चलता है कि जब मद्रास उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआइआर पर सात अप्रैल तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी तो उनके खिलाफ तीन और एफआइआर दर्ज कर दी गईं। इन एफआइआर के दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस गत दिवस उनके आवास पर पहुंची। वह वहां नहीं थे। वह तमिलनाडु में थे। कामरा ने मुंबई पुलिस पर तंज कसते हुए कहा कि वह अपना समय बर्बाद कर रही है, क्योंकि पुलिस जिस पते पर पहुंची, वहां वह दस वर्ष से नहीं रह रहे हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के चलते मुंबई पुलिस पहली एफआइआर पर तो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन तीन नई एफआइआर पर ऐसा कर सकती है। यदि मुंबई पुलिस नई एफआइआर के सिलसिले में उनकी तलाश तेज करती है तो वह फिर से मद्रास उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसमें उन्हें कोई समस्या इसलिए नहीं आनी, क्योंकि भाजपा-शिवसेना के विरोधी कई राजनीतिक वकील उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे। यह भी लगभग तय है कि यदि वह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन्हें वहां से राहत भी मिल जाएगी।

अभी तक यही देखने को मिलता रहा है कि यदि किसी के खिलाफ किसी एक मामले में कई एफआइआर दर्ज होती हैं तो पीड़ित उन्हें एक साथ नत्थी करने की अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उन्हें वहां से राहत मिल जाती है। कामरा को भी मिल जाए तो हैरानी नहीं। हैरानी इस पर होगी, यदि मुंबई पुलिस कामरा को गिरफ्तार करने पर अड़ी रहती है। पता नहीं इसमें उसे सफलता मिलती है या नहीं। यदि मिल भी जाती है तो आसार इसी के हैं कि उन्हें शीघ्र जमानत मिल जाएगी, क्योंकि उन पर मात्र यह आरोप है कि उन्होंने एक पैरोडी गाने के जरिये शिवसेना नेता और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का अपमान किया। इससे कुपित होकर कुछ शिवसैनिकों ने एक होटल में तोड़फोड़ की, जहां कामरा ने पैरोडी गाने की रिकार्डिंग की थी। यह पैरोडी गाना शिंदे को नीचा दिखाने वाला था। इसे

शिवसैनिकों की तोड़फोड़ के बाद तैनात पुलिस। फाइल

ढंग की पैरोडी कहना कठिन है, लेकिन शिवसेना और भाजपा विरोधियों को वह बहुत भाया। यह कोई नई-अनोखी बात नहीं, क्योंकि जो कटाक्ष किसी को मनोरंजक लगता है, वही किसी अन्य को अपमानजनक। शिवसैनिकों को ऐसा ही लगा और वे अब भी कामरा को धमका रहे हैं और चूंकि शिवसेना महाराष्ट्र की सत्ता में है, इसलिए मुंबई पुलिस भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर व्याकुल है। इसका नतीजा यह है कि कामरा को वे लोग भी जान गए, जिन्होंने उनका नाम तक नहीं सुना था।

कुणाल कामरा के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का संज्ञान कई विदेशी समाचार माध्यमों ने भी लिया। इसके अलावा महज आठ-नौ दिनों में लाखों लोग उनके उस वीडियो को देख चुके हैं, जिसमें उन्होंने शिंदे पर निशाना साधा था। कामरा फूहड़ किस्म के उन कामेडियन में से हैं, जिन्हें लगता है कि किसी के खिलाफ ओछी टिप्पणी करना ही कामेडी है। कामेडी के नाम पर फूहड़ता करने वाले उनके जैसे और भी कामेडियन हैं। किसी दल या सरकार की ओर से ऐसे कामेडियनों के पीछे पड़ना एक तरह से उनका मुफ्त में प्रचार करना और खुद की फजीहत कराना ही है। यह काम अन्य सरकारें भी करती हैं। वे कभी किसी कटाक्ष पर किसी कामेडियन के पीछे पड़ जाती हैं और कभी सोशल नेटवर्क साइट्स पर अपने खिलाफ टिप्पणी करने वालों के। अधिकतर मामलों में ऐसे लोगों को अदालतों से राहत मिल जाती है, लेकिन कभी-कभार किसी को जेल में भी रहना पड़ता है और कई बार तो महीनों। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि हर मामले में अदालतें तत्परता का परिचय नहीं देतीं।

उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते नागपुर के एक युवक को मुंबई पुलिस ने 17 दिन के अंदर तीन बार गिरफ्तार कर जेल भेजा, क्योंकि उसने उनके एक करीबी को पेंग्विन कह दिया था। कुणाल कामरा मामले में जैसा व्यवहार शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार कर रही है, वैसा ही अन्य दल और उनकी सरकारें भी करती हैं। यह बात और है कि जब यही दल इस तरह का कोई मामला विरोधी दल के शासन में देखते हैं तो वे अचानक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन बन जाते हैं। इन दिनों भाजपा और शिवसेना विरोधी दल कामरा का समर्थन करते हुए खुद को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सिपाही साबित करने में लगे हुए हैं। इनमें ठाकरे की शिवसेना सबसे आगे है, जिसने सत्ता में रहते समय अपनी मामूली आलोचना करने वालों को लोगों को जेल भेजने अथवा उनके घर-दफ्तर गिराने में संकोच नहीं किया। इनमें कंगना रनौत भी हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के समय ही जब कंगना के दफ्तर के एक हिस्से को ढहाया गया था तो कई दलों के नेताओं ने इसे उचित बताने की कोशिश की थी या फिर इस कार्रवाई पर खुशी जताई थी। इनमें कुणाल कामरा भी थे। तब अभिव्यक्ति की आजादी के कथित चैंपियनों को सांप सूंघ गया था। ऐसे फर्जी चैंपियन तब भी हर्षित-मुदित हुए थे, जब चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सीआइएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कंगना को थप्पड़ मारा था। अपने देश में अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकतर चैंपियन यह समझने को तैयार नहीं कि यह आजादी उनके लिए भी होती है, जो उनके मन मुताबिक बात नहीं करते।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अग्नि

ताप जीवन का एक प्रमुख लक्षण है। शीत में जब जीवन थम जाता है, अवरुद्ध हो जाता है तब यही ताप शरीर के अस्तित्व को बचाने में सहायक होता है। ताप ही जीवित रहने का प्रमाण है। शरीर जैसे ही तापविहीन हुआ तो कह दिया जाता है कि शरीर ठंडा हो गया। यह मृत्यु की घोषणा के लिए चुने गए कोमल और सुसंस्कृत शब्द हैं।

मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की अग्नियां हैं। सर्वप्रथम जठराग्नि, जिसके बिना प्राण को पोषण मिलना संभव नहीं। यह अग्नि इसलिए मिली कि हम विचारों के लिए, परिश्रम के लिए ईंधन जुटा सकें। हालांकि जिस प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण होता है उसी प्रकार हम जठराग्नि से प्राप्त ऊर्जा को अन्य प्रकार की अग्नि में परिवर्तित कर डालते हैं-ईर्ष्या की अग्नि, क्रोध की अग्नि, प्रतिशोध की अग्नि, कुत्सित विचारों की अग्नि, विध्वंसक प्रवृत्ति की अग्नि। एक अग्नि जो भोजन पकाती है, दूसरी अग्नि दावानल बन सकती है। इन छोटी-छोटी अग्नियों में जीवन भर जलने के उपरांत भी हम सबक सीख नहीं पाते। यह नहीं जान पाते कि अग्नि को जितना ईंधन दें, उतना ही वह बढ़ती ही चली जाती है। जलन नहीं, शीतलता प्राप्त करना हमारा लक्ष्य था। हमें अग्नि को शांत करने पर लक्ष्य करना था, हमने अग्नि को भड़काना ही लक्ष्य मान लिया।

एक अंतिम अग्नि चिता पर प्रतीक्षा कर रही होती है। इसी एक अग्नि में जीवन भर की समस्त संचित अग्नियां स्वाहा हो जाती हैं। तब रह जाती है तो बस पश्चाताप की अग्नि। जीवन भर अन्य अग्नियों पर नियंत्रण कर लिया होता तो यह पश्चाताप की अग्नि प्राण के साथ विरासत के रूप में न रह जाती। केवल संत ही ऐसे होते हैं, जिनका शरीर अंतिम अग्नि में जलने के उपरांत भी शीतलता का अनुभव कर रहा होता है। साधारण व्यक्ति के लिए अशुभ अग्नि को बुझाना कठिन हो सकता है, परंतु उसे नियंत्रित करने का अभ्यास तो किया जा सकता है।

ट्विंकल तोमर सिंह

पूर्ण हरित परिवहन की राह पर नार्वे

सुधीर कुमार

पेट्रोल-डीजल से संपन्न होने के बावजूद नार्वे इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है

नार्वे इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को पूरी तरह से अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जैसी जीवाश्म ईंधन संपदा से संपन्न होने के बावजूद इस स्कैंडिनेवियाई देश ने पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों से दूरी बनाकर देश को हरित परिवहन की राह पर ले जाने में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। वर्ष 2024 में नार्वे में बिकने वाली हर 10 में से नौ नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक वाहन थीं। नार्वेजियन रोड फेडरेशन के अनुसार गत वर्ष बेची गई नई कारों में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी लगभग 90 प्रतिशत थी।

नार्वे में इलेक्ट्रिक वाहनों और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए बीते दो दशक से सतत और ठोस प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप आज नार्वे अपनी सड़कों पर सभी नई कारों को इलेक्ट्रिक स्वरूप में उतारने में सफल हुआ है। नार्वे में 'ईवीकरण' की शुरुआत 1994 के शीतकालीन ओलंपिक से हुई, जब पर्यावरण-अनुकूल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए मेजबान नार्वे ने खिलाड़ियों के आवागमन के लिए पहला इलेक्ट्रिक वाहन 'थिंक' पेश किया था। वर्ष 1995 में नार्वेजियन ईवी एसोसिएशन की स्थापना के बाद ईवी को बढ़ावा देने की दिशा में योजनाबद्ध प्रयासों की शुरुआत हुई। वर्ष 1997 में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए टोल टैक्स समाप्त किया गया, जबकि 1999 में ऐसे वाहनों के लिए नगरपालिका पार्किंग को भी निःशुल्क कर दिया गया। ईवी की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए 2001 में इसकी खरीद पर 25 प्रतिशत वैट (मूल्य वर्धित कर) में छूट दी गई। वर्ष 2017 में जब नार्वे की संसद ने घोषणा की कि 2025 तक बेची जाने वाली सभी नई कारें शून्य-उत्सर्जन वाली होंगी, तब वहां ईवी की हिस्सेदारी केवल 21 प्रतिशत थी, लेकिन महज आठ साल में वहां ईवी की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत होने जा रही है। कार्बन उत्सर्जन में परिवहन क्षेत्र के योगदान को कम करने के लिए नार्वे की यह पहल अभूतपूर्व है। दुनिया के अन्य देशों को भी जलवायु परिवर्तन से निपटने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाने तथा कार्बन उत्सर्जन में कटौती लाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के बढ़ावा देना आवश्यक है।

इलेक्ट्रिक वाहन जहरीली ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के साथ-साथ जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता घटाती है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से सतत विकास की अवधारणा को बल मिलेगा। इससे आने वाली पीढ़ियों के लिए अनवीकरणीय संसाधन समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सकते हैं। भारत में भी इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार दिनोंदिन विस्तृत होता जा रहा है। ऐसे वाहनों की खरीद पर सरकार पर्याप्त अनुदान प्रदान कर रही है। बहरहाल नार्वे की तरह देश में हरित परिवहन का जाल बिछाने के लिए सामूहिक सहभागिता अनिवार्य है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

जल संरक्षण के लिए हों साझा प्रयास

'जल संरक्षण का संदेश' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में जल के महत्व पर समग्रता में प्रकाश डालने के साथ ही उसके संरक्षण में सामूहिक जिम्मेदारी की महत्ता को भी रेखांकित किया गया है। भारत में जल संरक्षण इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और यहां विश्व के शुद्ध जल का मात्र चार प्रतिशत ही उपलब्ध है। जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी माडल) अपनाना जरूरी है, क्योंकि अभीष्ट की प्राप्ति केवल एक घटक के द्वारा संभव नहीं है। इसमें सबका योगदान आवश्यक है। यदि जनता यह सोचे कि शुद्ध जल उपलब्ध कराना केवल सरकार की जवाबदेही है तो वह गलत है, क्योंकि जब जल उपलब्ध होगा तब ही तो उसका वितरण संभव हो पाएगा। भारत में जनसंख्या के अनुपात में जल इकाइयों और वर्षा का असमान वितरण जल के संरक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। नदियों को जोड़ना, अटल तालाब जल संरचनाओं का निर्माण, रामसर साइट, नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना आदि अनेक प्रयास इस दिशा में किए जा रहे हैं, परंतु आवश्यकता के अनुरूप ये अपर्याप्त ही दिखते हैं। इसलिए, समय आ गया है कि जल संरक्षण की दिशा में समन्वित प्रयासों को अविलंब गति दी जाए।

मोहित सोनी, कुक्षी, मध्य प्रदेश

राष्ट्रनायकों का योगदान

करणी सेना का विरोध नकारात्मक है। बेहतर होता करणी सेना एवं अन्य हिंदू संगठन सभी वर्गों के राष्ट्रनायकों के योगदान की विस्तृत जानकारी अस्सी प्रतिशत हिंदू जनमानस तक पहुंचाने का अभियान चलाते। ऐसे विरोध प्रदर्शन निज स्वार्थ से प्रेरित लगते हैं। इन संगठनों को यह भी विचार करना होगा कि इस समय देश एवं ज्यादातर प्रदेशों में हिंदू समर्थक सरकारें चल रही हैं, और इन सरकारों की सर्वोच्च प्राथमिकता अस्सी प्रतिशत हिंदू जनमानस को एक सूत्र में बांध कर रखना है। ऐसी परिस्थिति में जाति के नाम पर सड़क पर उग्र हिंसक विरोध दर्ज करना उन सरकारों को भी असहज स्थिति में ढकेलने का माध्यम बनेगा। जातिगत अहंकार से उठकर सभी हिंदू संगठन एकीकृत हिंदू समाज की तरक्की हेतु योगदान दें, तो स्वयं एवं सरकार दोनों के लिए बेहतर सहज स्थिति निर्मित होगी। राणा सांगा की महानता का निर्णय सड़क के उग्र हिंसक प्रदर्शन से नहीं हो सकता है, और न ही उनपर जाति का ठप्पा लगाकर उनका कद कम करना चाहिए, क्योंकि राणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, रानी लक्ष्मीबाई आदि महान आत्माओं ने अपनी-अपनी जातियों में स्वयं की गौरवगाथा को बढ़ाने की तुच्छ लड़ाई हेतु अपने प्राण न्यौछावर नहीं किए थे, अपितु अपना बलिदान राष्ट्र निर्माण के लिए किया था।

कौशलेंद्र सिंह, बहराइच

भ्रष्टाचार का पर्दाफाश

संपादकीय आलेख 'नौकरशाही का भ्रष्टाचार' में उचित लिखा गया है कि नौकरशाह अपनी तिजोरी भरने के लिए नेताओं को भ्रष्टाचार करने के तौर-तरीके बताते हैं ताकि उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश न हो। हर राजनीतिक दल सत्ता संभालने के साथ ही अपने करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर पदस्थापित करता है और उन्हें लंबे समय तक वहां बनाए रखने का प्रयास करता है। इस संस्कृति से अफसरों में ढीठ प्रवृत्ति पनपती है और वे खुल्लेआम सरकारी पैसों की हेराफेरी करने से नहीं चूकते हैं। अभी झारखंड और बिहार में कई आइएएस भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और कुछ बेल पर हैं। संसदीय समिति ने अपनी जांच में पाया कि कुछ अधिकारी आठ-नौ वर्षों से एक ही मंत्रालय में जमे हुए हैं। कुछ अधिकारियों ने अपनी तैनाती में कुछ इस तरह चतुराई दिखाई है कि उनका पूरा कार्यकाल एक ही मंत्रालय में बीता है। संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी निर्धारित समय के भीतर अपनी संपत्ति का विवरण दाखिल करने में फेल रहते हैं, तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

युगल किशोर राही, ग्रेटर नोएडा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चेयरमैन एमेरिटस- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

अमर उजाला
प्रवाह
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948
नई दिल्ली ■ बुधवार, 2 अप्रैल 2025

पारदर्शिता से विश्वसनीयता और जवाबदेही, दोनों में वृद्धि होती है। -पार्क यॉन सून

मौसम विभाग ने आने वाले महीनों में सामान्य से अधिक गर्मी और हीटवेव को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, वह जलवायु परिवर्तन के गहराते संकट को तो इंगित करता ही है, उसका संकेत और संदेश यह भी है कि हमें व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर गर्मी से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए।

संकेत और संदेश

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अप्रैल से जून के बीच सामान्य से अधिक गर्मी और लू चलने के दिनों के दोगुने होने को लेकर जो अलर्ट जारी किया है, उसका संकेत और संदेश यही है कि हमें गर्मी से निपटने के लिए व्यक्तिगत, सामुदायिक और प्रशासनिक स्तर पर पूरी तरह से तैयार रहना होगा। हालांकि यह अलर्ट अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष पहली हीटवेव ओडिशा में अप्रैल की शुरुआत में दिखी थी, जबकि इस वर्ष कोंकण व तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फरवरी का अंत आते-आते ही हीटवेव जैसी स्थितियां पैदा होने से मौसम को लेकर पहले ही आशंकाएं व्यक्त की जा रही थीं। वैज्ञानिक लंबे समय से चेतावनी जारी कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी और भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यह भी कि अगर हमने अपने कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता नहीं दी, तो आने वाले वर्षों में हालात और भी भयावह हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब स्पष्ट रूप से महसूस भी किए जा रहे हैं। जंगलों की कटाई और अनियंत्रित शहरीकरण ने मौसम चक्र को असंतुलित किया है, जिससे मौसम संबंधी असामान्य घटनाएं भारत समेत पूरी दुनिया में बढ़ी हैं। अफसोस की बात है कि इन स्थितियों के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार देशों में से एक अमेरिका ने पेरिस समझौते से दूरी बनाकर अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है, यों भी, अब तक विकसित देशों के रुख के चलते वैश्विक पर्यावरणीय प्रयासों से स्थितियों में कुछ ठोस सुधार हुआ हो, ऐसा नहीं दिखता। लिहाजा वैश्विक प्रयास और सम्मेलन आदि तो चलते ही रहेंगे, सरकारें भी अपना काम करेंगी ही, वक्त की जरूरत यह है कि हम व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर अपनी तैयारियां पूरी रखें। गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ती ही है। विशेषज्ञों द्वारा इस गर्मी में बिजली की अधिकतम मांग में नौ से दस फीसदी की बढ़ोतरी की चेतावनी दी जा रही है। दरअसल, पिछले एक दशक में कुल खपत में घरेलू बिजली खपत के हिस्से में हुई बढ़ोतरी चौंकाने वाली है, जिसकी एक प्रमुख वजह एयर कंडीशनरों का बढ़ता उपयोग भी है। ऐसे में जरूरत सौर व ऊर्जा के अन्य नवीकरणीय स्रोतों पर जोर देने की भी है, ताकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके। आईएमडी का अलर्ट हमें दीर्घकालिक उपायों को अपनाने का संकेत भी देता है। पौधारोपण और जल व ऊर्जा को लेकर मितव्ययिता जैसी कुछ ऐसी आदतें हैं, जिन्हें हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। सामान्य नागरिकों के लिए भी यह समय है कि वे सिर्फ गर्मी से बचाव ही नहीं, पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझें।

वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग का सवाल

नए वक्फ संशोधन विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जाए और उनका तयशुदा इस्तेमाल भी हो। यह वक्फ संपत्तियों में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है।

मुस्लिम संगठन और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ क्यों हैं? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे विपक्ष-शासित राज्यों ने विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं, जबकि विपक्षी दल इसके खिलाफ संसद में लामबंद हैं। एआईएमपीएलबी और विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कानून को सांप्रदायिक इरादे से लागू करने की कोशिश की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने नए कानून को मुस्लिमों के सीने पर गोलियां दागने और मस्जिदों व दरगाहों को निशाना बनाने जैसा बताया है। हालांकि, अजमेर शरीफ दरगाह के प्रमुख हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने नए कानून का स्वागत किया है।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

दरअसल, वक्फ धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का स्थायी दान है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा होता है और इसकी देखरेख केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड करते हैं। देश में 37.39 लाख एकड़ में फैली 8.72 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं। हालांकि, केवल 1,088 संपत्तियों के पास वक्फ डीड (ऐसा कानूनी दस्तावेज, जो प्रमाणित करे कि संपत्ति धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए वक्फ के रूप में समर्पित की गई है) पंजीकृत हैं, और 9,279 अन्य के पास स्वामित्व अधिकार स्थापित करने वाले दस्तावेज हैं। वक्फ संपत्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समुदाय के कल्याण हेतु उपयोग करने के लिए होती हैं, लेकिन ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें राजनीतिक रूप से जुड़े मुस्लिमों ने वक्फ की संपत्तियों को धोखाधड़ी कर हड़प लिया है या फिर उन पर कब्जा कर लिया है। इनसे आम गरीब मुसलमानों, खासकर महिलाओं में चिंता उभरी है।

नए वक्फ संशोधन 2024 विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जाए और उनका तयशुदा इस्तेमाल भी हो। यह वक्फ संपत्तियों में कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण के दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधायी कदम है। प्रस्तावित संशोधन पारदर्शिता बढ़ाने, कानूनी स्वामित्व सुनिश्चित करने और वक्फ बोर्डों के भीतर जवाबदेही और शासन के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित करने पर केंद्रित है। वर्तमान में समावेशिता की कमी भी एक बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से हाशिये पर पड़े मुस्लिम समुदायों जैसे-आगाखानी, बोहरा, पिछड़े मुस्लिम, महिलाओं के साथ-साथ गैर-मुस्लिमों को बहुत कम प्रतिनिधित्व मिलता है। यह तब है, जब विभिन्न मुस्लिम संप्रदाय वक्फ संपत्ति दान करते हैं। यही नहीं, महिलाओं, पसमांदा समुदाय और गैर-मुस्लिमों को भी वक्फ शासन से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इससे सवाल उठता है कि क्या वक्फ वाकई वंचित समुदायों और गरीबों के कल्याण व उत्थान के लिए काम कर रहा है, जबकि उन्हें ही इसके लाभों और निर्णय लेने से बाहर रखा गया है। सबसे बड़ी खामी यह है कि वक्फ अधिनियम की धारा 40 वक्फ बोर्ड को उसके द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर किसी भी संपत्ति को, जिसे वह उचित समझे, वक्फ घोषित करने की अनुमति देती है। इससे बड़े विवाद पैदा हो गए हैं, क्योंकि इसे न्यायाधिकरण में तो चुनौती दी जा सकती है, जिसका निर्णय अंतिम होता है, लेकिन कोई भी पीड़ित अदालत में नहीं जा सकता। आंकड़ों की मानें, तो करीब 60,000 वक्फ संपत्तियां अतिक्रमण से ही हथियाई गई हैं।

नए कानून के तहत वक्फ डीड अनिवार्य है। सभी संपत्तियों की जानकारी छह महीने के भीतर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। वक्फ संशोधन अधिनियम-2025 से पहले या बाद में वक्फ घोषित की गई कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं मानी जाएगी। कलेक्टर रैंक से ऊपर का अधिकारी कानून के अनुसार जांच करेगा कि वक्फ संपत्ति सरकारी है या नहीं। इससे स्वामित्व पर स्पष्टता आएगी और अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचा जा सकेगा। वक्फ की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए कम से कम पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकते हैं। व्यक्ति को कानूनी रूप से संपत्ति का मालिक होना चाहिए और उसे हस्तांतरित या समर्पित करने में सक्षम होना चाहिए। धारा 40 को खत्म किया गया है। साथ ही, न्यायाधिकरण के फैसले अब अंतिम नहीं होंगे। 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी। जिला कलेक्टर पंजीकरण आवेदनों की प्रामाणिकता की पुष्टि करेंगे।

केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो मुस्लिम महिलाएं और राज्य व संघशासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड में एक-एक सदस्य बोहरा और आगाखानी समुदाय से होना अनिवार्य होगा। पिछड़े वर्ग के मुसलमान भी बोर्ड का हिस्सा होंगे, जिसमें दो गैर-मुस्लिम सदस्य होंगे। राज्य सरकारें बोहरा और आगाखानी समुदायों के लिए स्वतंत्र वक्फ बोर्ड स्थापित कर सकती हैं। इससे वक्फ संपत्ति प्रबंधन में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा मिलेगा। अतः हमें स्पष्ट होना चाहिए कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों जैसी लंबे समय से चली आ रही वक्फ संपत्तियों को संरक्षित रखने के स्पष्ट प्रावधान कानून में किए गए हैं। अतीत में कुछ संपत्तियां औपचारिक दस्तावेज के बिना भी धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उनके दीर्घकालिक उपयोग के आधार पर वक्फ बन गईं। हालांकि, यह प्रावधान अब मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि वक्फ डीड अनिवार्य होगी, लेकिन मस्जिदों और कब्रिस्तानों जैसी वक्फ संपत्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, जो इस अधिनियम के लागू होने से पहले या उससे पहले वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत हैं, जब तक कि वे विवादित न हों या सरकारी संपत्ति के रूप में वर्गीकृत न हों।

सरकार ने नए कानून का बचाव करते हुए कहा है कि कुछ लोग मुसलमानों में डर पैदा कर उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नया कानून पारदर्शिता बढ़ाने, लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और वक्फ प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण साबित होगा। नया कानून वक्फ संपत्तियों के सदुपयोग को सुनिश्चित करेगा, जिससे गरीबों और महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलेगा। यह अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और अनाथालय जैसी आवश्यक संस्थाएं भी स्थापित करेगा। सरकार नए कानून के जरिये मुस्लिम समुदाय में विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के सामाजिक हाशिये को खत्म करने और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने का भी इरादा रखती है। आखिर निहित स्वार्थ वाले लोग गरीब मुसलमानों के लिए अधिक लाभ के खिलाफ क्यों हैं? क्या उन्हें डर है कि अवैध संपत्तियों का उनका आनंद खत्म हो जाएगा?

edit@amarujala.com

जीवन धारा

बालकृष्ण भट्ट

अक्सर लोग अपनी बदकिस्मती के लिए रोते और पछताते हैं, पर सच पूछें तो बदकिस्मती से उनका उतना नहीं बिगड़ा, जितना उनकी लापरवाही और जी लगाकर मेहनत न करने से बिगड़ता है।

आदमी के गात में करामात एक बात है

यदि इस बात पर ध्यान दें कि मनुष्य को अपने काम में सफल होने के लिए कौन-कौन से उत्तम गुण प्राप्त करने चाहिए, तो व्यवहार में सफाई या ईमानदारी पहली बात होगी। इसके बिना कोई भी अपने रोजगार व कारोबार में प्रतिष्ठा या समृद्धि हासिल नहीं कर सकता। 'आदमी के गात में करामात एक बात है,' इस कहावत की पूरी सार्थकता अक्सर ईमानदार रोजगारियों में ही पाई जाती है। जो अपनी बात बनाए रखता है, वह बिना कुछ लिखे-पढ़े, केवल अपनी बात पर हजारों-लाखों रुपये जब चाहे ले सकता है, और लोग बिना किसी शंका के खुशी से उसे दे देते हैं। सच पूछें तो यहां का व्यापार अब तक इसी ईमानदारी के भरोसे चलता रहा है।

जैसे-जैसे सरकारी कानून में बारीकियां और हिंदी की चिंदी निकलती गई, विश्वास उठता गया और लेन-देन में जालसाजी व छल को बढ़ावा मिलता गया। यहां तक कि भाई-भाई और बाप-बेटे में भी मौखिक हिसाब-किताब की कोई हकीकत नहीं रह गई, जब तक कानून की चुस्त इबारतों में लिख-पढ़कर हस्ताक्षर न कर दिया जाए। हिंदुस्तान के व्यापार घटने के जहां बहुत से कारण हैं, उनमें कानून की बारीकियां भी एक है। कितने तरह के रोजगार और पेशे बदनाम हैं कि वे अच्छे, शिष्ट पुरुष के करने योग्य समाज में नहीं समझे जाते, लेकिन निश्चय मानें कि वह काम या पेशा अपने-आप में बुरा नहीं है, बल्कि जो लोग उसे करते हैं, उनके कारण वह बदनाम हो गया है। कोई भी काम, जो ईमानदारी से किया जाए और उचित लाभ के अतिरिक्त एक पैसा भी बेईमानी का उसमें न आए, वह सर्वथा प्रतिष्ठित और सराहना के योग्य है।

किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए छोटा काम करना भी बुरा नहीं है, बशर्ते उसकी ईमानदारी में कोई बट्टा न लगे। मनु महाराज ने शौच-अशौच के प्रसंग में अर्थ-शौच को सबसे बड़ा और पवित्र रहने का द्वार बताया है। हाथ, पांव आदि अंग जल से शुद्ध और साफ होते हैं, पर मन केवल सत्य से शुद्ध होता है। जिसका मन दृढ़ है और डिगता नहीं, वही अपनी कड़ी मेहनत की कौड़ी को अपनी मानता है। वह बेईमानी से मिले अनुचित लाभ को, चाहे वह सोना ही क्यों न हो, मिट्टी का ढेला मानता है। विलायत में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं, और आज भी मौजूद हैं, जिन्होंने शुरू में मोची की नौकरी या पेशा अपनाकर कड़ी मेहनत के साथ ईमानदारी बरती। उसी में निरंतर उद्यम करते हुए वे अंत में ऊंचे पद पर पहुंचे। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और मुस्तैदी-ये तीन बातें रोजगार के लिए बहुत जरूरी हैं। अक्सर लोग अपनी बदकिस्मती के लिए रोते और पछताते हैं, पर सच पूछें तो बदकिस्मती से उनका उतना नहीं बिगड़ता, जितना उनकी लापरवाही और जी लगाकर मेहनत न करने से बिगड़ता है। हम भले ही बहुत योग्य और लायक हों, पर यदि चौकसी और अपने काम में मुस्तैद रहना नहीं जानते, तो हमसे वह बेहतर है, जो भले ही बहुत योग्य न हो, किंतु मुस्तैदी और चौकसी से काम में जुटा रहता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है।

व्यवहार में सच्चे बनें

सूत्र

वास्तव में, जो ईमानदार हैं, वे अपने काम और बर्ताव, सब में स्वच्छता और सफाई रखने से नहीं चूकते। समाज में वे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोगों के बीच सम्मान पाते हैं। वहीं, जो व्यवहार में सच्चा नहीं है, वह कितना ही बड़ा विद्वान और धनवान हो, विश्वास हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपने व्यवहार में सच्चे बनें।

दूसरा पहलू

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ईंट और टाइल बनाने की नई तकनीक विकसित की है।

हवा से ईंटें बनाने की पर्यावरणीय तकनीक

अमेरिकी वैज्ञानिकों ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर ईंट और टाइल्स बनाने की नई तकनीक विकसित की है। यह तकनीक बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण, धरती के बढ़ते तापमान, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन जैसी विकट समस्याओं के लिए भी कारगर हो सकती है। यह तकनीक कोरल रीफ (समुद्री प्रवाल) से प्रेरित है और पर्यावरण के लिए बेहद फायदेमंद है। *एनपीजे एडवांस मैन्युफैक्चरिंग* जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक, इस तकनीक से 3डी प्रिंटेड ढांचों को एक खास कोटिंग देकर कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड के घोल में डुबोने पर एक ठोस और टिकाऊ ईंट व टाइल जैसी सामग्री तैयार हो जाती है।

अखिलेश आर्येंदु

नई तकनीक से तैयार ईंटों पर आग का असर तुरंत नहीं होता, बल्कि ये हल्की मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती हैं, जिससे आग बुझाने में मदद मिलती है।

इससे तैयार ईंटों की एक खासियत यह है कि इन पर आग का असर तुरंत नहीं होता है, बल्कि इनमें 30 मिनट तक तापमान सहने की क्षमता है। आग लगने पर ये हल्की कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा छोड़ती हैं, जिससे आग बुझाने में मदद मिलती है। कार्बन रहित भवनों के निर्माण, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करने में यह तकनीक बेहद कारगर साबित हो सकती है। स्विट्जरलैंड में स्थापित एक नई मशीन हवा से कार्बन डाइऑक्साइड चूस रही है। यह दुनिया का सबसे बड़ा व्यावसायिक संयंत्र है। जानकारी के मुताबिक, ज्यूरिख के निकट क्लाइमवर्क्स एजी सुविधा, हवा से औद्योगिक पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को एकत्रित करने और इसे सीधे खरीदारों को बेचने वाली पहली सुविधा बन गई है। इस मशीन को विकसित करने वाले प्रबंधक के अनुसार, यह संयंत्र हर साल 900 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। क्लाइमवर्क्स के मुताबिक, दुनिया की एक प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को पकड़ने के साथ यह संयंत्र कृषि के लिए बेहद कारगर साबित हो सकता है, लेकिन इसके लिए 2,50,000 ऐसे और संयंत्रों को लगाने की जरूरत होगी। जिस तकनीक पर यह संयंत्र कार्य करता है, वह महंगी जरूर है, लेकिन प्रदूषण को कम करने की दिशा में बहुत बड़ी उम्मीद जगाती है। अमेरिका के दक्षिण पूर्व प्रांत हंट्सविले, अलबामा में एक व्यावसायिक सेंटर पर ऐसा संयंत्र लगा है, जिसके विशालकाय पंखे हवा को चैंबर में खींचते हैं। इस उपकरण के जरिये 4,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखी जा सकती है, जो 870 कारों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण के बराबर है। हवा से सीधे कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहीत करने का कार्य दुनिया भर में बड़े स्तर पर हो रहा है। अतः ईंट और टाइल कारगर साबित हुईं, तो आने वाले वक्त में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

हवा से कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहीत करने का कार्य दुनिया भर में बड़े स्तर पर हो रहा है। ईंट और टाइल कारगर साबित हुईं, तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश होगा व रोजगार बढ़ेगा।

आंकड़े

सैन्य शक्ति

दुनिया भर के देशों में सक्रिय सैन्य शक्ति (सेना में शामिल जवान और अधिकारी) के मामले में चीन और भारत सबसे आगे हैं।

देश	आंकड़े
चीन	20.03
भारत	14.55
अमेरिका	13.28
रूस व उत्तर कोरिया	13.2-13.2
यूक्रेन	9.00

आंकड़े शीर्ष देशों की सैन्य शक्ति के लाख में | स्रोत : Global Fire Power

जंगल में सो रहे संत देवजान जी को जब सिकंदर ने पैर मारा, तो वह बोले, 'मुल्क फतह करना तो बादशाहों का काम है, मगर लात मारना गधों का काम है।'

निरुत्तर हुआ सिकंदर

अंतर्यात्रा
संकलित

संत देवजान सकलवी बड़े विरक्त थे। वह जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने अपने रहने के लिए कोई मकान तक नहीं बनवाया था, वह एक स्थान पर नहीं रहते थे। कभी जंगल में, कभी मैदान में, कभी नदी किनारे और बिना अपने मतलब के किसी से जल्दी बात नहीं करते थे। संत देवजान सकलवी जी सिकंदर के जमाने में यूनान में एक हकीम थे।

एक दिन एक आदमी ने उनसे पूछा, 'आप अपना घर क्यों नहीं बनाते?' संत देवजान जी ने कहा, 'घर को वह बनाए, जिसका घर गिरा हो या जिसका घर न हो। हमारा घर ईश्वर का है, जो कभी गिरने वाला नहीं है, फिर हम बने हुए को क्यों बनाएं? हमारा घर यह संसार है, जिसमें आकर करोड़ों लोग आराम पाते हैं। जब हमारा इतना बड़ा घर है, तो हम घर क्यों बनाएं? ऐसा घर कभी कोई इन्सान नहीं बना सकता।' पूरे संसार को घर मानने वाले संत देवजान जी एक बार जंगल में सो रहे थे कि इतने में सिकंदर ने आकर उन्हें पैर मारकर कहा, 'उठो जल्दी, हमने एक मुल्क फतह किया है।' संत देवजान सकलवी बोले, 'मुल्क फतह करना तो बादशाहों का काम ही है, मगर लात मारना गधों का काम है।' यह सुनकर सिकंदर ने कहा, 'इतनी बेपरवाही तुमको कहां से मिली?' उन्होंने कहा, 'सब्र करने और ख्वाहिशों को छोड़ने से, क्या तुम यह कर सकते हो?'

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 10 अप्रैल, 1966

देश आत्मनिर्भर न बना तो स्वतंत्र कहलाने का अधिकारी नहीं

आगामी वर्षों में देश आत्मनिर्भर न बना तो स्वतन्त्र कहलाने का अधिकारी नहीं

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से कहा कि यदि आगामी चंद वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त न की गई, तो हम एक स्वतंत्र देश कहलाने के अधिकारी भी न रहेंगे।

टैरिफ जंग में ये होंगे भारत के हथियार

ट्रंपकालीन दुनिया में छिड़ी टैरिफ की जंग में भारत का बढ़ता खाद्यान्न उत्पादन और मजबूत होता खाद्य प्रसंस्कृत उद्योग ही उसकी ताकत बनेगा।

डॉ. जयंतीलाल भंडारी | आर्थिकी

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चतुर व्यक्ति हैं, उनके महान मित्र हैं और भारत के साथ नई द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के तहत टैरिफ पर अच्छी तरह काम हो रहा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि भारत और अमेरिका के बीच नई दिल्ली में व्यापार प्रतिनिधियों की वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसमें जीरो फॉर जीरो पर सहमति के संकेत आगे बढ़े हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि चीन, कनाडा और यूरोपीय संघ के विपरीत भारत द्वारा अमेरिका के साथ पारस्परिक शुल्क पर सहमति से आगे बढ़ने की रणनीति से भारत के खाद्यान्न और खाद्य प्रसंस्कृत उत्पादों के निर्यात के लिए अमेरिका सहित पूरी दुनिया में नए अवसर भी सामने आ सकते हैं।

यकीनन जिस तरह पांच साल पहले कोरोना से जंग में खाद्यान्न भंडार देश के हथियार बन गए थे, उसी प्रकार इस समय अमेरिका के टैरिफ की मार के साथ-साथ शुल्क व गैर-शुल्क बाधाओं को कम करने से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि को कम करने के मद्देनजर देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और रिकॉर्ड खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद एक मजबूत हथियार दिखाई दे रहे हैं। चूंकि 2025 में वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन में कमी के आकलन प्रस्तुत हुए हैं, ऐसे में ट्रंप के टैरिफ से भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में होने वाली 3 से 3.5 फीसदी हानि की बहुत कुछ भरपाई खाद्यान्न और कृषि प्रसंस्करण के निर्यात से भी की जा सकेगी।

प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक इस समय भारत दुनिया की नई खाद्य टोकरी और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रतिबद्ध देश के रूप में रेखांकित हो रहा है। यदि हम वर्ष 2024-25 के लिए जारी मुख्य कृषि फसलों (खरीफ एवं रबी) के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान की ओर देखें, तो चावल, गेहूं, मक्का, मूंगफली एवं सोयाबीन के साथ-साथ तुअर और चना के भी रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद जताई गई है। वर्ष 2024-25 के सकल घरेलू उत्पाद में (जीडीपी) में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के योगदान में 4.6 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। पिछले वर्ष यह वृद्धि दर 2.7 फीसदी थी। इसके अतिरिक्त भारत का खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भी एक ऐसा उभरता उद्योग है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) हुआ है। देश के कुल कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी 13.7 से बढ़कर करीब 24 प्रतिशत हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) की खाद्य प्रसंस्करण पर प्रकाशित शोध अध्ययन रिपोर्ट कहती है कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र वर्ष 2023 में 307 अरब डॉलर का था, इसके तेजी से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 700 अरब डॉलर, वर्ष 2035 तक 1100 अरब डॉलर, वर्ष 2040 तक 1500 अरब डॉलर और वर्ष 2047 तक 2150 अरब डॉलर तक की ऊंचाई पर पहुंचने की उम्मीद है।

कृषि के बुनियादी ढांचे और निवेश पर पिछले एक दशक में रणनीतिपूर्वक ध्यान दिए जाने के अच्छे परिणाम मिले हैं। 24 फरवरी, 2025 तक पीएम किसान सम्मान निधि के जरिये देश के 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 19 किश्तों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 3.68 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक मदद, तो वहीं पीएम स्वामित्व योजना के तहत फरवरी 2025 तक देश के छह लाख गांवों में से आधे से अधिक गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है, और सवा दो करोड़ ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड मिल चुके हैं। एक अप्रैल से प्रभावी हुए केंद्रीय बजट 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों और ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। निश्चित रूप से ट्रंप के टैरिफ से इस समय देश की आर्थिकी को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई के साथ भविष्य में अन्य किसी भी वैश्विक आर्थिक चुनौती का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संवारने की डगर पर लगातार तेजी से आगे बढ़ना होगा।

चूंकि भारत में अब भी अनाज, दाल व तिलहन के उत्पादन का स्तर तो मौसम पर निर्भर ही होता है और कभी जरूरत से कम तो कभी जरूरत से ज्यादा बारिश इनके उत्पादन के सारे गणित को गड़बड़ कर देती है, ऐसे में क्षेत्रवार और फसलवार आधार का व्यापक अध्ययन करते हुए सिंचाई की व्यवस्था की नई नीति तैयार की जानी लाभप्रद होगी। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि इस समय देश का अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 33 करोड़ टन से अधिक है, जबकि भंडारण क्षमता कुल उत्पादन के आधे से भी कम है, ऐसे में अनाज बर्बाद होने से बचाने के लिए देश में 2028 तक सहकारी क्षेत्र में 700 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना के तेजी से कारगर क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा।

40 प्रतिशत है विश्व की आबादी में ब्रिक्स देशों का हिस्सा। जबकि वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी लगभग 30 प्रतिशत है।

आजकल

डालर के बहाने अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती

हाल में अमेरिका ने दावा किया कि ब्रिक्स देश-भारत, चीन, रूस, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका उसे आर्थिक तौर पर अलग-थलग करने के लिए डालर को कमजोर करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए नई करेंसी लाने की योजना बना रहे हैं। माना जा रहा है कि इसके लिए ये देश डी-डालराइजेशन की नीति को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए ये देश या तो परस्पर कारोबार में स्थानीय मुद्राओं (जैसे कि युआन, रूबल और रुपये) को अपना सकते हैं या फिर कोई ऐसी साझा करेंसी ला सकते हैं, जो अमेरिकी डालर की जरूरत को ही खत्म कर दे, लेकिन यह इतना आसान नहीं

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टेली परफार्मेंस से संबद्ध

अंतरराष्ट्रीय कूटनीति (डिप्लोमेसी) में राजनय (वैदेशिक संबंधों के मामले) का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कूटनीतिक राजनय कई बार प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसके तहत एक राष्ट्र के प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख अथवा देशों के संगठन के साथ प्रत्यक्ष तौर पर कोई साझेदारी करते हैं। आर्थिक लेनदेन करते हैं। एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। इसे प्रायः ट्रैक-1 डिप्लोमेसी कहा जाता है, लेकिन इसका दूसरा ट्रैक भी होता है। यह प्रत्यक्ष नहीं दिखता, लेकिन कई बार ऐसे समझौते किए जाते हैं या ऐसी नीतियां अपनाई जाती हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ रणनीति का काम करती हैं। इस ट्रैक-2 डिप्लोमेसी का एक प्रसंग अमेरिका द्वारा ब्रिक्स देशों पर लगाए गए आरोप में उभरता दिखाई दे रहा है, जिसमें उसने दावा किया है कि भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स देश उसे आर्थिक तौर पर अलग-थलग करने के लिए वैश्विक व्यापार में डालर को कमजोर करने के उद्देश्य से नई करेंसी लाने की योजना बना रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अमेरिका इकलौता महाशक्ति देश बना हुआ है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अस्तित्व में आए रूस की ताकत उससे छिटके देशों के कारण तुलनात्मक रूप से घट चुकी है। जापान से अमेरिका के दबदबे को लेकर कोई सीधी चुनौती नहीं है। भारत के साथ बीते दो दशकों में अमेरिका के जो रिश्ते रहे हैं, उनमें प्रत्यक्षतः ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि यह लोकतांत्रिक देश अमेरिका से अपनी मित्रता को किसी कारणवश खटाई में डाल सकता है। अमेरिका की एकमात्र चिंता दुनिया की फैक्ट्री के रूप में प्रतिष्ठा अर्जित कर चुके चीन से है, जो अमेरिकी वर्चस्व में सेंध लगा सकता है।

डालर के शिकंजे से बाहर आने की छटपटाहट: हालांकि अमेरिकी डालर आज भी पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय कारोबारी भुगतान की सबसे प्रमुख और आसान मुद्रा है, लेकिन बीते एक दशक में रूस से लेकर मध्य-पूर्व तक ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि इस आर्थिक शिकंजे से बाहर निकलना चाहते हैं। कई देश ऐसे हैं, जो चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार का भुगतान चीन की मुद्रा-युआन में कर रहे हैं। भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध के परिदृश्य में रूस से खरीदे गए तेल के लिए ज्यादातर भुगतान रूसी मुद्रा-रूबल में किया। हालांकि इसका मुख्य कारण यह था कि रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण डालर में भुगतान करना मुश्किल हो गया था। ऐसे में भारत को रूबल में भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा। रूबल के इस्तेमाल से रूस को भी फायदा हुआ, क्योंकि डालर पर उसकी निर्भरता खत्म हो गई। भारत का प्रयास है कि उसकी अपनी करेंसी-रुपये को भी अमेरिकी डालर के समक्ष महत्व मिले, पर इसके लिए जरूरी है कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिनिधित्व करने वाली मुद्रा यानी डालर को परस्पर लेनदेन के लिए मध्यस्थ मुद्रा बनाए रखने की नीति से बाहर आया जाए और लेनदेन में एक दूसरे की मुद्रा को स्वीकार किया जाए।

द्विपक्षीय व्यापार की स्थानीय मुद्रा: मध्य पूर्व से लेकर रूस तक ऐसे देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में भुगतान युआन में कर रहे हैं। यूं तो अभी इसकी संभावना कम ही है कि चीन से बाहर शेष दुनिया में देशों के बीच होने वाले कारोबार में परस्पर भुगतान के लिए डालर के बजाय युआन को तरजीह दी जाए, लेकिन इससे दुनिया में एक नया व्यापारिक ढांचा तैयार होता नजर आ रहा है। इसमें रूस को पश्चिमी भुगतान से बाहर किए जाने वाले प्रतिबंधों की भी एक भूमिका है, क्योंकि जो देश रूस से व्यापार करते हैं, वे अब दूसरे विकल्प तलाश रहे हैं।

आर्थिक प्रतिबंधों की आसान काट: अभी युआन और रूबल जैसी मुद्राओं को अमेरिकी डालर का स्थान नहीं मिल सकता है, लेकिन युआन और रूबल के अंतरराष्ट्रीयकरण से चीन-रूस के वे मकसद पूरे हो सकते हैं, जिनमें ये देश करेंसी की दरों में उतार-चढ़ाव के कारण पैदा होने वाले खतरों से सुरक्षा हासिल कर सकते हैं और अमेरिका की ओर से लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंधों की काट तैयार कर सकते हैं। आखिर किसी कारोबार में किसी प्रचलित मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा को कैसे स्थापित किया जा सकता है? असल में इसकी वजह यह है कि ज्यादातर आर्थिक लेनदेन में आयातकों के व्यापारिक शर्तें (कीमत और भुगतान संबंधी) तय करने का अधिकार होता है। ऐसे में, यदि निर्यातक और आयातक चाहें तो आपस में युआन, रूबल या रुपये के इस्तेमाल को लेकर परस्पर सहमति बना सकते हैं, लेकिन यह काम इतना आसान भी नहीं है। इसका कारण यह है कि मौजूदा दुनिया के कारोबारी परिदृश्य में अमेरिकी डालर, यूरो स्टार्लिंग और कुछ हद तक येन (जापानी मुद्रा) का वर्चस्व कायम है। दुनिया की सभी खुली अर्थव्यवस्थाओं में ये मुद्राएं आसानी से उपलब्ध हैं, जबकि युआन, रूबल और रुपये के मामले में ऐसा नहीं है। अगर ये देश (चीन, रूस और भारत) इस उपलब्धता को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी मुद्राओं के सीमित भंडार अपने देशों से बाहर हर जगह मुहैया कराने होंगे। फिर भी यदि ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे अमल में लाने के लिए एक दशक से ज्यादा समय की जरूरत होगी।

ब्रिक्स देशों की भूमिका: अमेरिका के दावे का एक आधार हाल में उसकी खुफिया एजेंसी की निदेशक तुलसी गबार्ड के कार्यालय की ओर से जारी रिपोर्ट है जिसमें अमेरिकी डालर के सामने पैदा हो रही चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील, भारत, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका की सदस्यता वाला संगठन-ब्रिक्स इस कोशिश में है कि सदस्य देश डी-डालराइजेशन की नीति को आगे बढ़ा जा सकते हैं। इसके लिए ये देश या तो परस्पर कारोबार में स्थानीय मुद्राओं (जैसे कि युआन, रूबल और रुपये) को अपना सकते हैं या फिर कोई ऐसी साझा करेंसी ला सकते हैं जो अमेरिकी डालर की जरूरत को ही खत्म कर दे। वर्ष 2009 में हुए ब्रिक्स के पहले शिखर सम्मेलन में इसके सदस्य देशों ने अपने संयुक्त बयान में अमेरिकी डालर के वैश्विक प्रभुत्व के खिलाफ एक विविध अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया था। संभवतः यही कारण है कि हरेक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका को यह चिंता सताने लगती है कि कहीं उसके डालर को कमजोर करने की कोई साजिश तो नहीं है। इसके अलावा 'द ब्रिक्स एंड कलेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटक्राफ्ट' नामक किताब में यह तथ्य रेखांकित किया गया है कि चीन की आर्थिक उन्नति के बरक्स यूरोप और जापान की कमजोर पड़ती आर्थिक शक्ति के फलस्वरूप ब्रिक्स को ताकत मिली है। इसका एक परिणाम अमेरिकी डालर, यूरो और येन के विकल्प के रूप में युआन, रूबल या रुपये के साथ-साथ किसी नई साझा करेंसी के अभ्युदय के रूप में निकल सकता है। इस आकलन का आधार यह है कि ब्रिक्स देशों की आर्थिक और वित्तीय स्थितियां एक दूसरे से अलग होने के बावजूद इसके सदस्य देशों ने अपनी अंतरराष्ट्रीय साख मजबूत की है। इस प्रक्रिया में ब्रिक्स देशों ने वे जरूरी योग्यताएं हासिल कर ली हैं जिनके बल पर अमेरिका या दूसरी आर्थिक ताकतों को चुनौती दी जा सकती है। माना जा रहा है कि वर्ष 2050 तक ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्थाएं आज के विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ देंगी और तब अमेरिकी डालर के मुकाबले इनकी मुद्राओं या किसी साझा मुद्रा में कारोबार होने लगेगा। इन्हीं आकलनों के कारण अमेरिका को यह आशंका सता रही है कि देर-सबेर उसकी मुद्रा को चुनौती मिल सकती है और महाशक्ति की उसकी पदवी खतरे में पड़ सकती है।

तेजी से आगे बढ़ रही ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था। प्रतीकात्मक

टैरिफ वार के दौर में ब्रिक्स का बढ़ता महत्व

अर्थशास्त्री जिम ओ'नील के वर्ष 2001 में प्रकाशित शोध पत्र 'बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनामिक ब्रिक' में उनकी रिसर्च असिस्टेंट रूपा पुरुषोत्तमन ने पहली बार 'ब्रिक' शब्द का इस्तेमाल किया था। जिम ओ'नील के इस शोध पत्र के आठ साल बाद ब्रिक देशों की पहली शिखर स्तर की बैठक 16 जून, 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में हुई और तब इस संगठन की स्थापना हुई। उस समय ब्राजील, रूस, भारत और चीन इसके घटक राष्ट्रों में शामिल थे। बाद में 2010 में ब्रिक का शिखर सम्मेलन ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में हुआ तो इस संगठन में दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हुआ। इन्हीं देशों के अंग्रेजी में नाम के प्रथमाक्षरों बी, आर, आइ, सी एवं एस से मिलकर इस समूह का नया नामकरण ब्रिक्स किया गया। ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है। इसके शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता हर साल एक-एक कर ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेता करते हैं। दुनिया की पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के इस समूह में शामिल देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का करीब 40 फीसद है, जबकि वैश्विक जीडीपी में इन देशों का हिस्सा 30 फीसद ठहरता है। ब्रिक्स देश आर्थिक मुद्दों पर साथ काम करते हैं।

ब्रिक्स का सदस्य बनने का कोई औपचारिक तरीका नहीं है। इसका फैसला सदस्य देश आपसी सहमति से लेते हैं। बताया जाता है कि दुनिया के 19 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इनमें से 13 देशों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। ब्रिक्स के विस्तार की जरूरत पर नजर दौड़ाने से इसका अहसास होता है कि यह काम जरूरी क्यों है? असल में अमेरिकी वर्चस्व के बीच कोविड-19 महामारी ने दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं की चूलें हिला दी हैं। इधर जिस तरह से अमेरिका ने नई वैश्विक टैरिफ जंग छेड़ रखी है, उसमें ब्रिक्स जैसे संगठनों की जरूरत और महत्व में और इजाफा हुआ है, ताकि मौजूदा विश्व व्यवस्था को बदला जा सके और देशों के आर्थिक हित सुरक्षित किए जा सकें।

-अभिषेक कुमार सिंह

खरी-खरी

मूर्ख बनाने की कला

डा. प्रदीप मिश्र

कृपया मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास न करें, क्योंकि मैं तीन सौ पैंसठ दिनों वाला हूं। बेवकूफ के अलावा मुझे कोई और क्या बना सकता है? व्यापारी, व्यवहारी, सरकारी, अखबारी, संसारी, पत्रकारी, हुशियारी, कलाकारी...सब तो नियम से मुझे उल्लूक बना रहे हैं।

विद्वानों में काफी समय तक मतभेद रहा है कि मूर्ख बनाना कला है या विज्ञान। काफी विवाद-संवाद के बाद विद्वान एकमत हुए कि 'मूर्ख बनाना एक कलात्मक विज्ञान है।' इसकी अपनी तकनीक और परंपराएं हैं। स्कूल आफ थाट्स और गुरुकुल हैं। क्योंकि मूर्ख बनाना सभी व्यवसायों का आधार होता है, इसलिए स्कूल-कालेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में इसका अध्ययन अनिवार्य रूप से कराया जाना चाहिए। मूर्ख-निर्मिति केंद्रों की स्थापना कर इनमें मूर्ख बनाने की स्किल डेवलपमेंट के लिए शार्ट और लांग टर्म कोर्सेस चलाए जाने चाहिए। जिसने दूसरों को बेवकूफ बनाना सीख लिया, संसार में उसकी तरक्की को कौन रोक सकेगा?

सरकार को चाहिए कि वह पुस्तकालयों में बेवकूफ बनाने की कला से संबंधित साहित्य युवाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराए। इस विषय की चुनिंदा पुस्तकों के नाम हैं- 'राजनीति में मिथ्या संभाषण के प्रेरक प्रसंग', 'चुनावों में पब्लिक को उल्लू बनाने के तरीके', 'गरीबी हटाने के सौ वादे', 'वोटरों को उनके मूर्खलोक में क्या-क्या दिखलाएं', 'खुद को ईमानदार बताने के लिए दिल मजबूत करने के व्यायाम', 'माशूकाओं को दिखलाए जाने वाले सब्जबागों के अते-पते', 'बीवियों को चकमा देने के 108 नायाब नुस्खे', 'यजमान को मूर्ख बनाने की अचूक विधियां', 'विवादास्पद भाषण देने की कला', 'अपनी टोपी दूसरों को पहनाने का हुनर,' 'पुल टूटने पर बोले जाने वाले 1008 वाक्य', 'लोकतंत्र में परिवारवाद की प्रगति, रीति और नीतियां।'

उक्त पुस्तकें पाठ्यपुस्तकें हैं, बाकी संदर्भ ग्रंथों के लिए इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। गहन अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए हरेक शहर में कोचिंग सेंटर भी खुले हैं, जो आपको इस हुनर का हुनरमंद बना सकते हैं।

X पोस्ट

वर्तमान दौर में भारत की एक बड़ी सच्चाई यह भी है कि यहां बड़े से बड़े अफसर और वरिष्ठ नेता कभी रिटायर नहीं होते।
आरके विज@ipsvijrk

नेपाल में पहले नास्तिकों ने पैर जमाए, अब ईसाई पैठ बनाने में लगे हैं। ऐसे में हैरानी की बात नहीं कि जनता हिंदू राजशाही की वापसी को लेकर सड़कों पर उतर आई है।
मोनिका वर्मा@TrulyMonica

मरीन ला पेन के रूप में यूरोप में एक और विपक्षी नेता को जेल भेजकर उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संभव है इससे डेमोक्रेसी इंडेक्स में कुछ और अंक प्राप्त हो जाएं...। गनीमत है कि वहां उत्तरी अमेरिका की तरह नेताओं की हत्या का प्रयास नहीं किया जा रहा।
संजीव सान्याल@sanjeevsanyal

पर्यावरण की चर्चाएं और सभाएं अक्सर वातानुकूलित सभागारों में ही संचालित होती हैं। बड़े-बड़े पर्यावरणविद् सूट-बूट पहन स्लाइड प्रजेंटेशन दिखाते हुए भाषण देते हैं। बोतल बंद पानी और पैक्ड भोजन करते हैं।
आशुतोष नारायण दीक्षित@ashutoshkashi

जागरण जनमत कल का परिणाम

क्या नेपाल में राजशाही की वापसी की मांग उचित है?

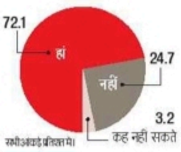

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या संपत्ति का विवरण देने के लिए बाध्य किए जाने पर आइएएस अफसरों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

चर्चा होगी वक्फ पर और खुलेगी पोल,
संसद में दिख जायगा किसका कैसा रोल।
किसका कैसा रोल मचेगा कुछ तो हल्ला,
क्योंकि कोई सुधार चाहते ना कठमुल्ला।
वही पुराना राग पुराना फर्जी पर्चा,
ले हाथों में आज करेंगे कुछ जन चर्चा!
- ओमप्रकाश तिवारी

उत्तराखंड डायरी

चार धाम यात्रा की चुनौतियां

विकास धूलिया
स्टेट ब्यूरो चीफ, उत्तराखंड

तीर्थाटन और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम-बदरीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री की यात्रा आगामी 30 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रही है। यात्रा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और इसे लेकर देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। अब तब चारों धामों के लिए 10 लाख से अधिक यात्रियों का पंजीकरण इसका उदाहरण है। स्पष्ट है कि तीर्थयात्रियों की संख्या के दृष्टिकोण से यात्रा इस बार नए प्रतिमान गढ़ेगी। यह अच्छी बात भी है, क्योंकि चारधाम यात्रा की उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका है। चारधाम वाले जिलों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग एवं चमोली की तो यह आर्थिकी की रीढ़ है। साथ ही टिहरी, देहरादून एवं हरिद्वार जिले भी सीधे तौर पर यात्रा से लाभान्वित होते हैं। इस परिदृश्य के बीच यात्रा को सुगम एवं सुरक्षित बनाने की चुनौती सरकार के सामने है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए भीड़ प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस कड़ी में यात्रा मार्गों के प्रमुख पड़ावों पर पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए ठहराव वाले स्थल चिह्नित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधा के मोर्चे पर कदम उठाए जा रहे हैं तो अन्य यात्री सुविधाएं भी यात्रा मार्गों पर विकसित की जा रही हैं। मौसम की जानकारी देने के लिए जगह-जगह डिस्प्ले बोर्ड लगाने की योजना है। ऐसे अन्य कई कदम भी सरकार उठाने जा रही है, लेकिन असली परीक्षा इन निर्णयों को धरातल पर उतारने में होगी। इसी मोर्चे पर पूर्व में मुंह की खानी पड़ी है। इसलिए इस बार यात्रा की तैयारियों को ठीक ढंग से धरातल पर मूर्त रूप देने के लिए तंत्र के पेच कसने होंगे और उसे जिम्मेदारी का अहसास करना होगा। जो भी यात्री यहां आ रहे हैं, वे बेहतर अनुभव लेकर जाएं। यह चारधाम यात्रा की ब्रांडिंग के लिए आवश्यक भी है।

उत्तराखंड में स्थित चार धाम-गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बदरीनाथ। फाइल

उत्तराखंड को देश-दुनिया में नई पहचान दिलाने वाली चार धाम यात्रा पर हर वर्ष लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता हो या फिर मौसम से निपटने की चुनौती, सभी संबंधित सरकारी विभाग अपने स्तर पर योगदान दे रहे हैं। यात्रा पर आने से पहले किस तरह की तैयारी करें, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 12 भाषाओं में सभी राज्यों के लिए एडवाइजरी यानी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। चारधाम यात्रा पर देश-विदेश से आने वाला श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 से 50 लाख तक होता है। इसी वर्ष हुए प्रयागराज महाकुंभ के बाद इस यात्रा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या आसानी से 50 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगी। कारण यह कि यात्रा इस बार 10 दिन पहले प्रारंभ हो रही है। इस स्थिति में शासन-प्रशासन के सामने यात्रा को लेकर चुनौतियां कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आती है। कारण यह कि चारों धाम काफी ऊंचाई वाले ठंडे स्थलों में स्थित हैं। ऐसे में गर्म मैदानी क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ता है। यात्रा के दौरान सबसे अधिक श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदयाघात से होती है। गत वर्ष सरकार ने इसका आंकड़ा तो जारी नहीं किया, लेकिन एक आकलन के अनुसार यात्रा में 250 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हृदयाघात से हुई। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान यात्रा मार्ग पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति पर रहता है। इनमें भी हृदयरोग विशेषज्ञों को शीर्ष प्राथमिकता में रखा जा रहा है। एम्स के साथ ही अन्य राज्यों से भी विशेषज्ञ चिकित्सक भेजने का अनुरोध किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा के दौरान वाहन दुर्घटनाओं की आंकड़ा बढ़ता है। इसे रोकने के लिए परिवहन विभाग ने प्रवर्तन दलों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया है। चारधाम के अलावा अन्य पर्यटन स्थल पर जाने वाले वाहनों के लिए भी ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया है, ताकि वाहनों की फिटनेस सुनिश्चित की जा सके। दुर्घटनाओं की जांच के लिए विशेषज्ञ एजेंसी का भी सहयोग लेने की तैयारी चल रही है। इस समय प्रदेश में चार धाम आल वेदर रोड के निर्माण का कार्य चल रहा है। इससे कई स्थानों पर भूस्खलन जोन बने हैं। गत वर्ष वर्षाकाल में सड़कें जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुईं। इन सड़कों की मरम्मत का काम जारी है। इस कारण कई नए डेंजर जोन एवं ब्लैक स्पाट बने हैं, जिनका अध्ययन किया जा रहा है, ताकि इन्हें समय से ठीक किया जा सके। पर्वतीय मार्गों पर अभी भी कई स्थानों पर पैराफिट एवं क्रैश बैरियर नहीं लग पाए हैं, ये दुर्घटना का असर न्यून करने में सहायक साबित होते हैं। उम्मीद है कि यात्रा से पहले इन्हें ठीक कर लिया जाएगा।

यह भी किसी से छिपा नहीं है कि चार धाम में मौसम पल-पल रंग बदलता है। ऐसे में कई बार मौसम की चुनौती यात्रा में बड़ी बाधा बन जाती है। इसे देखते हुए इस बार व्यवस्था की जा रही है कि प्रतिकूल मौसम अथवा आपात स्थिति में यात्रियों को ऐसे ठहराव स्थलों पर रोका जाए, जहां उनके लिए रहने-खाने की सुविधाएं हों। ये स्थल चयनित कर लिए गए हैं। इसके साथ ही यात्रा को निरापद बनाने को अन्य कई कदम भी उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है कि पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार की यात्रा सुगम एवं सुरक्षित बनाने में तंत्र कोई कसर नहीं छोड़ेगा। साथ ही यात्रियों और स्थानीय कारोबारियों को भी यात्रा की व्यवस्था बनाने में सहयोग देना होगा।

मंथन

न्यायपालिका की गरिमा

कई बार न्यायिक विलंब के कारण भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार बढ़ता है। इससे आम आदमी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वह दोहरे शोषण का शिकार होता है

रोहित कौशिक
वरिष्ठ पत्रकार

इस देश में यदि कोई इंसान किसी अत्याचार को लेकर हर जगह से हार जाता है तो उसे न्यायपालिका ही अंतिम उम्मीद नजर आती है। अभी भी आम इंसान न्यायपालिका को आशा भरी नजरों से देखता है, लेकिन अब समाज में यह चर्चा होने लगी है कि न्यायपालिका में भी भ्रष्टाचार ने अपने पैर पसार लिए हैं। अब लोग न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर संदेह करने लगे हैं। सवाल यह है कि न्यायपालिका पर यह संदेह क्यों पैदा हुआ है? कुछ लोगों के अपने कटु अनुभवों से तो यह संदेह पैदा हुआ ही है दूसरी तरफ अनेक घटनाओं ने भी न्यायपालिका की गरिमा को क्षति पहुंचाई है। दिल्ली हाई कोर्ट से जुड़े रहे एक जज इस समय चर्चा में हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर आरोप लगा है कि उनके घर जले हुए नोट और नकदी मिली है। हालांकि केवल इस सूचना के आधार पर जस्टिस वर्मा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस सूचना के आधार पर तात्कालिक विश्लेषण तो होगा ही। इसीलिए इस समय लगभग सभी मंचों पर इस मुद्दे की चर्चा हो रही है। सुप्रीम कार्ट कोलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद हाई कार्ट वापस भेज दिया है। कुछ लोग यह भी मान रहे हैं कि इस मामले में अभी कोई ठोस बात सामने नहीं आई है इसलिए यह जस्टिस वर्मा को फंसाने की साजिश भी हो सकती है।

दरअसल जस्टिस वर्मा शहर से बाहर थे तभी दिल्ली स्थित उनके आवास में आग लग गई। परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। अभी तक तो यही खबर है कि आग बुझाने के दौरान नकदी और जले हुए नोट बरामद हुए। हालांकि पूरी सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी। स्थानीय पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। यह खबर उच्च अधिकारियों तक भी पहुंचाई गई और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी सूचना दी गई। सूचना मिलने पर सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की बैठक बुलाई गई। कोलेजियम ने सबकी सहमति से जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से उनके मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद भेजने का निर्णय लिया। जस्टिस वर्मा को 2021 में ही इलाहाबाद से दिल्ली हाई कार्ट भेजा गया था। बहरहाल इस मामले में आगे कैसे कार्रवाई होगी वह तो अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अभी तो यह सवाल उठ रहे हैं कि इन जज महोदय को इलाहाबाद क्यों भेजा गया? अगर इन्हें तात्कालिक सजा देनी ही थी तो कहीं दूर भेजा जाना चाहिए था। ये जज महोदय दिल्ली हाई कार्ट में इलाहाबाद से ही आए थे और अब इन्हें इलाहाबाद ही भेजा गया है। अगर जस्टिस वर्मा इस मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।

आम आदमी की आखिरी उम्मीद न्यायपालिका ही होती है। अगर आम आदमी का न्यायपालिका से विश्वास उठ गया तो भारत कितना भी विकास कर ले, आम आदमी स्वयं को छला हुआ ही महसूस करेगा। सवाल यह है कि हम न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को खत्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ज्यों-ज्यों भारत विकास करता जा रहा है, त्यों-त्यों ही न्यायपालिका का भ्रष्टाचार भी बढ़ता जा रहा है। सरकार अभी भी न्यायपालिका के भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई सटीक तंत्र विकसित नहीं कर पाई है। राज्यों में तो जिला स्तर की अदालतों में कुछ कर्मचारी लोगों से पचास-पचास या सौ-सौ रुपये सुविधा शुल्क लेते रहते हैं, लेकिन न ही जज ऐसे मामलों में बोलते हैं और न ही वकील कुछ बोलते हैं। कुछ मिलाकर न्यायपालिका में एक ऐसा तंत्र विकसित हो गया है, जिसमें एक आम आदमी ही पिसता है।

न्यायपालिका भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से तो जूझ ही रही है साथ ही अदालतों में करोड़ों मुकदमे भी लंबित पड़े हैं। लंबित मामलों के मुद्दे पर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न्यायाधीशों को यह समझना चाहिए कि न्यायिक सेवा केवल नौकरी नहीं है, बल्कि न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक मिशन है। कई बार न्यायिक विलंब के कारण भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। न्यायिक विलंब के कारण आम आदमी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से आम आदमी दोहरे शोषण का शिकार होता है। इस सारी व्यवस्था से उसका मनोबल टूट जाता है और वह निराशा के अंधकार में फंस जाता है। अगर किसी छोटे व्यापरी के घर या किसी अधिकारी-कर्मचारी के घर में थोड़ा सा भी धन मिल जाए तो उसे पापी सिद्ध करने की पूरी कोशिश की हो जाती है। ईडी, सीबीआइ और न जाने कौन-कौन सी जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं। जजों का आचरण ऐसा होना चाहिए कि उन पर किसी भी तरह का संदेह न हो सके। इसी वजह से न्यायाधीशों के लिए एक अलग आचार संहिता होती है। हालांकि कुछ न्यायाधीशों के आचरण की वजह से पूरी न्यायपालिका को कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता।

लंबित मामलों के बोझ से दबा न्यायिक तंत्र। फाइल

****

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 2 अप्रैल 2025

बात बिगड़ेगी

RSS के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का यह कहना कि स्वयंसेवक अगर मथुरा और काशी से जुड़े आंदोलनों में भाग लेते हैं, तो संगठन को आपत्ति नहीं होगी, संघ के पिछले स्टैंड से उलट है। होसबोले ने हालांकि सामाजिक कलह से बचने की बात कही और यह भी साफ किया कि संघ ऐसे किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन, उनकी बातें विरोधाभासों से भरी लगती हैं और इससे सामाजिक समरसता बनाने में कोई मदद नहीं मिलेगी।

ग़ैर-ज़रूरी बयान

भागवत से अलग । होसबोले ने 1984 का हवाला दिया कि उस समय विश्व हिंदू परिषद (VHP) और साधु-संतों ने तीन मंदिरों का मुद्दा उठाया था। अब जब वह कह रहे हैं कि संघ काशी, मथुरा के मंदिरों का मुद्दा उठाने पर आपत्ति नहीं करेगा तो जाहिर है, इसका यह मतलब निकाला जाएगा कि उन्होंने अपने स्वयंसेवकों को इजाजत दे दी है। यह संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस रुख से बिल्कुल अलग है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग तलाशना सही नहीं है, और यह भी कि अब कोई आंदोलन नहीं होगा।

असमंजस बढ़ाने वाला । भागवत ने पिछले साल दिसंबर में भी मस्जिदों को लेकर उठ रहे विवाद को शांत करने का प्रयास किया था। तब उन्होंने कहा था कि, 'राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है।' जब संघ प्रमुख ने एक स्पष्ट रेखा खींच दी थी, तब होसबोले का बयान असमंजस बढ़ाने वाला है। संघ कार्यकर्ता क्या समझें, कि उन्हें भागवत की लाइन पकड़नी है या होसबोले की?

एक्ट की व्याख्या । राम मंदिर निर्माण के बाद लगा था कि मंदिर-मस्जिद का मुद्दा खत्म हो जाएगा, लेकिन हर कुछ दिन बाद एक नई जगह विवादों की जद में आ जा रही है। और यह सब हो रहा है Places of Worship Act, 1991 के होते हुए। इसकी वजह इस एक्ट की 2022 में की गई वह अतिरिक्त व्याख्या है, जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तब शीर्ष अदालत ने कहा था कि किसी पूजास्थल का धार्मिक स्वरूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन धार्मिक स्वरूप की जांच करने से कानून नहीं रोकता।

जल्दी हो निपटारा । कानून की इस अतिरिक्त व्याख्या ने विवादों की बाढ़ ला दी। अब इसी की आड़ में तमाम जगह सर्वे की मांग उठ रही है। ऐसे माहौल में होसबोले के बयान से बात संभलेगी नहीं, बल्कि और बिगड़ जाएगी। और इससे यह जरूरत भी जाहिर होती है कि सुप्रीम कोर्ट को वर्शिप एक्ट से जुड़े मामलों का निपटारा जल्द से जल्द कर देना चाहिए।

कभी-कभी

प्यास के बाद पानी

ललित वर्मा

बहुत मायने रखता है पानी एक प्यासे के लिए। बहुत... इतना कि जमाने भर की बेशकीमती चीजें उसके लिए मायने खो देती हैं। उसे बस पानी चाहिए होता है। उसकी बेचैनी का बस यही एक इलाज होता है। उसके लिए वह कुछ भी देने को तैयार हो सकता है। तब प्यास और पानी के बीच का यह फासला दुनिया का सबसे बड़ा फासला बन जाता है। मगर कब तक? प्यास बुझ जाने तक। प्यास बुझ जाने के बाद पानी तो पानी रहता है, मगर प्यास नहीं रह जाती। और न ही प्यासा रह जाता है प्यासा। और जो प्यासा नहीं होता, पानी उसके लिए मामूली चीज होती है। तब तक मामूली, जब तक दोबारा वह प्यासा नहीं हो जाता।

यह प्यास और पानी के बीच का ही खेल नहीं है। हमारी जिंदगी की बिसात पर हर दूसरे कदम पर यही खेल चल रहा है। बच्चे और खिलौने के बीच। नींद और बिस्तर के बीच। किसी के होने और न होने के बीच। जीवन भर चलता है यह खेल। जो नहीं है उसे पाने की कशिश और पा लेने के बाद उसे किसी कोने में सरकाने की कोशिश।

मेरे पसंदीदा शायर निदा फाजली ने 2007 में इसी सिलसिले को समझाने के लिए हिंदी कथाकार शानी की कहानी का जिक्र अपने एक लेख में किया था। कहानी है 'आंखें'। इसके नेपथ्य में है एक प्रेम विवाह। एक दूसरे के साथ घंटों बिताकर भी जो कभी उकताते नहीं थे, वे पति-पत्नी हो जाने के बाद एक दूसरे को सुहाते नहीं थे। जीवन हौले-हौले नीरस होने लगा। जीवन में फैल रही एकरसता को दूर करने के लिए उन्होंने कई कोशिशें कीं। कभी सोने का कमरा बदलता, कभी एक-दूसरे के लिए गिफ्ट लाए... मगर कमबख्त बोरियत इस घर में ऐसी घर कर गई कि निकलने का नाम ही नहीं लिया। आखिर में कहानी दोनों को एक पार्क में ले गई। दोनों आमने-सामने चुपचाप बैठे हुए थे। उकताहट को कम करने के लिए पति सिगरेट लेने चला गया। मगर जब वापस आया तो उसे यह देखकर हैरत हुई कि पत्नी से थोड़ी ही दूरी पर बैठा एक अजनबी उसकी पत्नी को उन्हीं चमकती आंखों से देख रहा है, जिनसे शादी से पहले कभी वह उसे निहारता था। निदा इकॉनमिक्स का नियम याद दिलाते हैं : किसी चीज को हासिल कर लेने के बाद उस चीज की कीमत लगातार घटती जाती है।

कितना अच्छा हो अगर बचपन का वह खिलौना, जो बेतहाशा जिद के बाद मिला था, घर के किसी हिस्से में हमेशा सजा रहे। काश !

एकदा

लिखने की ज़िद

आर.के. नारायण उन महान लेखकों में से थे, जिन्होंने जीवन की सादगी को अपनी कहानियों में पिरोकर अमर कर दिया। उन्हें बचपन से लेखन का शौक था। उनका मन पत्रकारिता में नहीं लगा, क्योंकि दिल तो कहानियां गढ़ने में बसता था। एक दिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह लेखन के प्रति समर्पित होने की ठान ली। लेकिन,

Subrata Dhar

यह सफर इतना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपनी पांडुलिपि वहां भेज दी। कई हफ्तों के इंतजार के बाद प्रकाशक का पत्र आया। प्रकाशक ने किताब छापने के लिए शर्त रखी कि उन्हें प्रकाशन का खर्च खुद उठाना होगा। यह एक कठिन फैसला था। वह जानते थे कि अगर किताब नहीं बिकी तो उनकी सारी जमा-पूंजी डूब सकती है। इसके बावजूद, उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए प्रकाशक के साथ प्रकाशन संबंधी समझौते को स्वीकार करने का जोखिम उठाया। पैसे जुटाए, हर संभव प्रयास किया और अपनी किताब प्रकाशित कराई। आखिरकार उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने रंग दिखाया। उनकी लेखनी की सादगी और गहराई ने लोगों को प्रभावित किया और 'स्वामी एंड फ्रेंड्स' को पाठकों ने हाथोंहाथ लिया। इसके बाद तो मानो उनके सपनों को सीढ़ियां मिल गईं।

संकलन : रिंकल शर्मा

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की तरफ से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में मुसलमानों को 4% आरक्षण की व्यवस्था

सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण सही है?

सुधांशु रंजन

कर्नाटक सरकार की तरफ से सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण दिए जाने पर राजनीति गरमा गई है। कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अधिनियम, 1999 में सरकारी ठेकों में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए 24.1% आरक्षण का प्रावधान है। इस कानून में संशोधन कर 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया है। इससे फिर पुरानी बहस शुरू हो गई है कि धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान सम्मत है या नहीं।

जाति व्यवस्था की हकीकत । मुसलमानों की कुछ जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण दिया जा रहा है। कुछ मुस्लिम नेता पसमांदा मुसलमान को अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल कर आरक्षण देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन मजहबी मुस्लिम नेता जाति व्यवस्था को नकारते हैं। सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो इस्लाम में जाति व्यवस्था नहीं है, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है।

अशराफ और अजलाफ । 1901 की जनगणना में मुसलमानों में अगड़े और पिछड़े का जिक्र बहुत साफ है: 'मुसलमानों में दो विशेष सामाजिक विभाजन तस्लीम (स्वीकार) करते हैं: (1) अशराफ या शरीफ और (2) अजलाफ। अशराफ से मतलब ऊंचे तबके से संबंध रखने वाले शरीफ (नोबल) से है और इसमें विदेशी लोगों की असंदिग्ध औलादें और ऊंची जातियों से धर्म परिवर्तन करने वाले हिंदू शामिल हैं। तमाम मुसलमान जिनमें पेशेवर गिरोह शामिल हैं और नीची जाति के मुसलमान घृणित शब्द अजलाफ से जाने जाते हैं यानी नाकिस और नीचे लोग।... इन गिरोहों में ऐसी जातियां हैं, जिनमें सामाजिक परंपराएं बिल्कुल उसी तरह की हैं जो हिंदुओं में पाई जाती हैं।'

नीचे लेटे सांसद । लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत समानता है। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है क्योंकि जोर बराबरी पर है। भारत की परिस्थिति भिन्न रही है जहां एक बड़े वर्ग को बराबरी का अवसर नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने इसे नियति मानकर इस तरह से स्वीकार लिया था उन्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता था। 1952 में बिहार के पूर्णिया-भागलपुर सुरक्षित सीट से किराय मुसहर लोकसभा के लिए सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए। वह ट्रेन से दिल्ली गए तो सीट पर नहीं, नीचे लेटकर गए।

- इस्लाम में जाति व्यवस्था का वजूद नहीं
- हकीकत से मेल नहीं खाता है यह दावा
- पसमांदा को SC कोटे में लाया जाए

बाबू लोगों की जगह । संसद के अंदर भी वह नीचे बैठ गए। बोले, 'ऊपर बाबू लोग बैठते हैं।' तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने उन्हें सीट पर बैठाया और पता किया कि उन्हें टिकट कैसे मिला। पता चला कि जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया ने उन्हें उमीदवार बनाया था। इसलिए ऐसी सोच वालों को ऊपर लाने के लिए विशेष व्यवस्था की जरूरत महसूस की गई। संविधान सभा में मुसलमानों के लिए भी आरक्षण का सवाल आया था। लेकिन सभा ने माना कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना गलत होगा।

तीन शर्तें । आरक्षण का लाभ पाने के लिए तीन शर्तें पूरी करनी जरूरी हैं। पहली, जिस जाति को इसके दायरे में लाना है, उसके सभी सदस्यों की आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत एक जैसी हो और आर्थिक तथा व्यावसायिक रूप से वे समाज के सबसे निचले पायदान पर हों। दूसरी, एक लंबे समय से वह समुदाय अछूत तथा कलंकित रहा हो। तीसरी, उस समाज की कभी सत्ता में हिस्सेदारी नहीं रही हो। साफ है, इन मापदंडों पर मुस्लिम समुदाय को आरक्षण देना संभव नहीं है।

पसमांदा की मांग । यह जरूर है कि कुछ पेशेवर मुस्लिम जातियां भी वही काम कर रही हैं, जो हिंदुओं में वे जातियां कर रही हैं। इसलिए पसमांदा मुसलमानों की मांग है कि संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति इन मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल कर अधिसूचना जारी करें जैसा सिखों और बौद्धों के मामले में हुआ। लेकिन इसका विरोध मुस्लिम समुदाय के अंदर भी है।

राजनीतिक लाभ पर नजर । शीर्ष अदालत ने तो अनुसूचित जातियों में भी कोटे के अंदर कोटा लागू करने की व्यवस्था दी है ताकि अधिक जरूरतमंद और कमजोर तबकों को इसका लाभ मिले। समस्या यह है कि आज आरक्षण का इस्तेमाल केवल तुष्टिकरण और राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। किसी की चिंता हाशिए पर पड़े लोगों को केंद्र में लाना नहीं है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और कानूनी मामलों के जानकार हैं)

(सोर्स - ब्लूमबर्ग, WSJ, CNN, White House, FT, NYT, Tax Foundation)

सोच बदलेगी तभी देश में खेल बदलेगा

जयंत चौधरी

माता-पिता और समाज अक्सर बच्चों को कला, विज्ञान या किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन उनकी खेल प्रतिभा को पहचान नहीं पाते। हमें अब खेलों को लेकर अपनी सोच को बदलना होगा। सोचिए, दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद ओलिंपिक्स जैसे आयोजनों में पदकों की संख्या उस अनुपात में नहीं होती। हाल के वर्षों में सुधार हुआ है, लेकिन जितनी प्रगति होनी चाहिए थी, वह अब तक नहीं हुई है।

खेल संस्कृति । पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, 2024 पैरालिंपिक गोल्ड मेडलिस्ट प्रवीण कुमार और अन्य ऐथलीटों ने अपनी उपलब्धियों से दुनिया का ध्यान खींचा है, फिर भी खेलों को समर्थन देने वाली पूरी प्रणाली अब भी कमजोर है। इसमें समाज की सोच, सीमित सुविधाएं और खेल व शिक्षा के बीच तालमेल की कमी शामिल है। एक और पहलू पर ध्यान दिया जाना चाहिए, खेलों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर। खेलों में भाग लेने से लोग न केवल फिट रहते हैं, बल्कि इसके सकारात्मक सामाजिक लाभ भी हैं। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि शुरुआती दौर में स्टूडेंट्स का विभिन्न खेलों से परिचय कराया जाए और उनकी रुचि पहचानी जाए।

आर्थिक पहलू । देश में शिक्षा को हमेशा से सफलता की सीढ़ी माना गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए खेल लग्जरी की तरह हैं, जिन्हें करियर के रूप में वे नहीं चुन सकते। असफलता का डर और अनिश्चितता सामान्य परिवारों को अपने बच्चों को खेलने से रोक देती है। कई युवा ऐथलीटों के लिए अपने सपनों को पूरा करने का मतलब शिक्षा से समझौता करना होता है। इस कारण वे खेलों में सफल न होने पर उन अवसरों से चूक जाते हैं जो बाकी लोग शिक्षा पूरी करके पाते हैं।

सिस्टम चाहिए । चेक रिपब्लिक के धावक Emil Zatopek ने कहा था, 'एक ऐथलीट अपनी जेब में पैसे लेकर नहीं दौड़ सकता। उसे दिल में आशा और सपने लेकर दौड़ना होगा।' उनका मतलब था कि सिर्फ बुनियादी ढांचे और पैसों से काम नहीं चलता, ऐसा सिस्टम चाहिए जो युवा खिलाड़ियों को पूरी तरह सपोर्ट करे। भारत में कुछ स्कूल हैं, जैसे बेंगलुरु का जैन इंटरनैशनल रेजिडेंशियल स्कूल और झज्जर का सहवाग इंटरनैशनल स्कूल, जहां शिक्षा और खेल दोनों को महत्व दिया जाता है। हालांकि ऐसे संस्थान अधिकांश भारतीय परिवारों की पहुंच से बाहर हैं। इसलिए उन परिवारों के बारे में विचार करते हुए हमें एक नए और व्यापक दृष्टिकोण की जरूरत है।

स्पेशल स्कूल । ऐसी आधुनिक प्रणाली की कल्पना कीजिए, जिसमें खेल और शिक्षा को जोड़ने वाले आवासीय स्कूल होंगे। इनमें खेलों को प्राथमिकता दी जाएगी। कक्षा 6 से ही स्टूडेंट्स को मल्टी-स्पोर्ट फाउंडेशन प्रोग्राम से जोड़ा जाएगा। उन्हें अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। कक्षा 9 के आसपास खेलों में विशेषज्ञता के आधार पर स्टूडेंट्स का चयन होगा। इस तरह के स्कूलों का पाठ्यक्रम NEP 2020 के अनुसार होगा। पारंपरिक शैक्षिक विषयों को खेल विज्ञान के साथ जोड़कर अधिक व्यावहारिक बनाया जाएगा। फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा ये स्कूल मेंटल हेल्थ, करियर प्लानिंग और स्किल्स पर भी जोर देंगे। स्टूडेंट्स को अनुभवी खिलाड़ियों का साथ मिलेगा।

सबका सहयोग चाहिए । इस तरह का सिस्टम बनाना चुनौतीपूर्ण है। पैरंट्स से बात करके उन्हें भरोसे में लेना होगा। इन स्कूलों को चलाने के लिए धन चाहिए। इसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी काम कर सकती है। कॉरपोरेट, एनजीओ और पूर्व खिलाड़ियों - सभी का सहयोग चाहिए होगा। विभिन्न मंत्रालयों, खेल संघों और स्थानीय सरकारों के बीच समन्वय की जरूरत होगी। इन सबसे ऐसा सिस्टम बनेगा, जहां प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होगी।

(लेखक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं)

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

अपने बारे में जानने का तरीक़ा है चिंतन-मनन

संजय कालिया

कुंभ दर्शन के लिए प्रयागराज जाना हुआ था। अनेक रंगों में रमे लोगों में भी एक बात कॉमन थी, सभी के चेहरे पर खुशी। क्या सचमुच ऐसा है? इसी उधेड़बुन में था कि मेरी नजर माला बेचने वाली एक लड़की पर पड़ी। उसके चेहरे पर थकान थी, फिर भी वह बेपरवाह दिख रही थी। पास जाकर पूछा, 'तुम्हारे सारी मालाएं बिक जाएंगी?' लड़की ने जवाब दिया, 'नहीं बिकीं तो भी क्या होगा?' उसके इस जवाब ने मुझे झकझोर दिया। मजबूर किया कि अपने ऊपर चिंतन-मनन करूं।

चिंतन और मनन मजबूत मानसिक साधन है, जो दर्पण की तरह काम करता है। इसमें हम अपने भीतर देखते हैं। चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है, जो सभी प्राणियों में होती है। इस प्रक्रिया की शुरुआत उस समय होती है, जब कोई समस्या आती है। चिंतन-मनन एक जीव का दूसरे जीव के साथ सूचनाओं का आदान-प्रदान और उस पर गहरा विचार-विमर्श है। यह हमारे विचारों और भावनाओं के साथ सक्रिय जुड़ाव है। चिंता जल की तरह है, जबकि मनन उसका प्रवाह।

चिंतन-मनन सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। यह हमें संवेदनशीलता के के करीब ले जाता है, ताकि अपने अंदर में झाककर स्वयं को देख सकें। अपने बारे में और हम कैसे सीखते हैं, इसके बारे में अधिक जानने की अनुमति देता है। चिंतन, मनन और विचार में सबसे बड़ा अंतर यह है कि विचारों का चिंतन-मनन किया जा सकता है, लेकिन विचार के बिना चिंतन या मनन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। चिंतन का प्रमुख उद्देश्य किसी समस्या का समाधान करना होता है। चिंतन की एक निश्चित दिशा होती है, क्योंकि यह एक लक्ष्य की ओर देखता है। चिंतन एक या कई विषयों पर किया जाता है, लेकिन मनन किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, गंभीरता पूर्वक किया जाता है। चिंतन चित्त में होता है और मनन मन में। चिंतन-मनन में बुद्धि और स्मृति का भरपूर इस्तेमाल होता है।

आध्यात्मिक चिंतन में व्यक्तिगत विश्वासों, मूल्यों और अनुभवों पर विचार करना शामिल है ताकि खुद के और व्यापक ब्रह्मांड के साथ गहरी समझ और संबंध स्थापित किए जा सकें। अक्सर हताशा-निराशा में सकारात्मक चिंतन लाभ पहुंचाता है। चिंतन से उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ता है। कार्य करने की शक्ति बढ़ती है। व्यवसाय में चिंतन शांत वातावरण बनाने की प्रक्रिया है, उसमें हम विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते है। ये हमें नेतृत्व करने और निर्णय लेने के परिणामों को आकार देते हैं। यह आपके दृष्टिकोण की ईमानदारी से समीक्षा और मूल्यांकन करने का अवसर है। चिंतन प्रक्रिया का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य - तीनों से होता है। इसलिए समय और परिस्थितियों के मूल्यांक का अवसर देता है।

इसलिए हमें चिंतन और मनन करना चाहिए। चिंतन शुभ का हो, अशुभ का नहीं। निरंतर शुभ चिंतन से मन, बुद्धि और हृदय पवित्र होता है।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 2 अप्रैल • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनावश्यक विवाद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता भैया जी जोशी का औरंगजेब की कब्र से संबंधित बयान महत्त्वपूर्ण है और इसके विशिष्ट मायने भी हैं। उन्होंने कहा है कि इस विषय को अनावश्यक रूप से उठाया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी विवाद को उठाने की जबरिया कोशिश को निरर्थक बताते हुए कहा है कि औरंगजेब की कब्र एक संरक्षित स्मारक है इसलिए इसे तोड़ने या हटाने का कोई औचित नहीं है, लेकिन औरंगजेब जैसे संप्रदायवादी कट्टर शासक का महिमामंडन सहन नहीं किया जाएगा। इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर

तलाशना उचित नहीं है। अगर संघ प्रमुख और संघ के वरिष्ठ नेता की ओर से इस तरह के बयान आते हैं तो वे अकारण नहीं है। संघ एक संजीदा, लक्ष्य बद्ध और दूरगामी संकल्पों वाला हिन्दू संगठन है जिसकी कार्यप्रणाली और वैचारिक अभिव्यक्ति में उच्छृंखलता, अभद्रता या मर्यादाविहीनता लक्षित नहीं होते। उसकी निष्ठा हिन्दुओं को विशेष लक्ष्य के प्रति सचेत बनाकर संगठनबद्ध करके भारतीय राष्ट्र के उस सांस्कृतिक ढांचे में ढालना है जिसे वह राजनीतिक तौर पर भारतीय संस्कृति के नाम से अभिहित करता है। उसका एक बड़ा लक्ष्य भारतीय हिन्दुओं को क्षुद्र मतभेद भुलाकर विराट हिन्दू जाति के रूप में संगठित करना है जिससे उसे वांछित राजनीतिक शक्ति प्राप्त हो, लेकिन जब हिन्दुओं को संघ से इतर संगठन जिन्हें प्रायः संघ का अनुषांगिक संगठन कहा जाता है, अप्रत्याशित घटनाओं को अंजाम देते हैं, अनावश्यक विभाग खड़ा करते हैं। यानी नफरती बयान देते हैं तो ये तत्काल ही संघ की बदनामी का कारण बन जाते हैं और संघ की आलोचनाओं के घेरे में आ जाता है जिससे उसके भविष्यगामी उद्देश्य में बाधा पहुंचती है। इसलिए संघ चाहता है कि हिन्दू संगठन या हिन्दू समूह ऐसे विवादों को जन्म न दें जिससे सामाजिक या सांप्रदायिक वैमनस्य बढ़ता हो, कानूनी संकट खड़ा होता हो और इन्हें लेकर संघ या भाजपा को सफाई देनी पड़ती हो। संघ इसीलिए समय-समय पर फुटकर हिन्दू समूहों की आलोचना करता है। वैसे भी यह संघ की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस तरह के समूहों को नियंत्रण में रखे और उन्हें कानून-व्यवस्था विरोधी तत्वों के रूप में उभरने न दे।

चतुराई से बाज आएं कंपनियां

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडीक्लेम पॉलिसी को लेकर बीमाधारकों के हित में महत्त्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने कहा है कि किसी व्यक्ति को मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत मिलने वाली राशि को मोटर वाहन अधिनियम के चिकित्सा व्यय के मुआवजे से नहीं काटा जा सकता। पीठ ने कहा कि मेडीक्लेम पॉलिसी के तहत दावेदार द्वारा प्राप्त किसी भी राशि की कटौती स्वीकार्य नहीं होगी। पीठ ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण को न केवल उचित मुआवजा दिलवाने का अधिकार है, बल्कि यह उसका कर्त्तव्य भी है। अदालत ने कहा कि मृतक द्वारा किए गए दूरदर्शितापूर्ण वित्तीय निवेश का लाभ अपराधी नहीं उठा सकता। मामले में बीमा कंपनी का दावा था कि

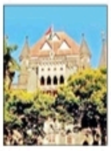

चिकित्सा व्यय भी मेडीक्लेम पॉलिसी के हिस्से के रूप में प्राप्त बीमा राशि के अंतर्गत आता है। यह तर्क बेहद दुखद है कि बीमाकर्ता का कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि अपने देश में अभी भी बीमा कराने के प्रति लोग ज्यादा जागरूक नहीं हैं। मगर वाहन बीमा सड़क पर निकले चालक के लिए काफी सुविधाजनक व्यवस्था साबित हो रही है। 30% आबादी अभी भी स्वास्थ्य बीमा से वंचित बताई जाती है। उक्त मामले में यदि बीमाधारक द्वारा दोनों तरह का बीमा लिया गया था तो उसे दोनों का लाभ मिलना उचित कहा जाना चाहिए। स्वास्थ्य बीमा और वाहन बीमा के लिए वह अलग-अलग प्रीमियम का भुगतान कर रहा है तो उसके अधिकार से वंचित किया जाना कंपनियों की नीयत में खोट दर्शाता है। बीमा कंपनियां अभी भी धारकों को मुआवजा देने में भारी कोताही करती पाई जाती हैं। तमाम नियम-कायदों के बावजूद वन-विंडो प्रणाली संभव होती नहीं नजर आती। बीमा कंपनियों में सार्वजनिक के साथ ही निजी क्षेत्र भी शामिल है। बावजूद इसके बीमाधारकों से किए वादों को पूरा करने में विभिन्न अड़चनें लगाई जाती हैं। कंपनियों का मानना है कि उनके समक्ष भी तमाम समस्याएं हैं। बीमाधारकों द्वारा गैर-वाजिब, झूठे या गलत तरीके से किए गए दावों से भी वे त्रस्त रहती हैं। मगर यह मामला काफी अलग है जिसमें बीमा कंपनियों ने मुआवजे के लाभकर्ता के प्रति न केवल अमानवीय रवैया रखा, बल्कि उचित लाभ देने में कटौती का प्रयास भी प्रयास किया। अदालत को इन पर आर्थिक दंड लगाना चाहिए ताकि भविष्य में वे बीमाधारकों के साथ चतुराई करने से बाज आएं।

एआई का बढ़ता चलन/अमित बैजनाथ गर्ग

तेजी से पहचान बना रहा भारत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में एक बार फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एआई के क्षेत्र में देश तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने पेरिस के दौरे का जिक्र करते हुए कहा, 'मैं एआई के सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां गया था। इस दौरान दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की जम कर सराहना की।'

एआई का अर्थ है मशीन या कंप्यूटर को इंटेलिजेंट (बुद्धिमान) बनाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आरंभ 1950 के दशक में ही हो गया था, लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। सबसे पहले जापान ने इस ओर पहल की और 1981 में फिफ्थ जेनरेशन नामक योजना की शुरुआत की। इसमें सुपर-कंप्यूटर के विकास के लिए दस वर्षीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद अन्य देशों ने भी इस ओर ध्यान दिया। ब्रिटेन ने इसके लिए एल्वी नाम का प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ के देशों ने एस्प्रिट नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की। 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों का विकास करने के लिए एक संघ की स्थापना की। हाल में एक्सेंचर ने एआई रिसर्च रिपोर्ट में जी-20 के कुछ देशों के लिए एआई के आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा प्रदान कर एआई के माध्यम से भारत की वार्षिक वृद्धि दर को 2035 तक 1.3 प्रतिशत अंक तक बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। हाल के दिनों में एआई का इस्तेमाल बढ़ा है।

जहां तक भारत की बात है, तो भारत 10,372 करोड़ रुपये के बजट के साथ एआई मिशन के माध्यम से अपने एआई इकोसिस्टम का विकास कर रहा है। असल में देश में अब स्पष्ट परिभाषित राष्ट्रीय एआई रणनीति का विकास करना बहुत जरूरी है। इसमें सरकारी एजेंसियों, उद्योग प्रतिनिधियों, शोधकर्ताओं और नैतिकतावादियों सहित विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाना शामिल है। इस रणनीति में एआई विकास, नैतिक दिशा-निर्देशों, नियामक ढांचे और उत्तरदायित्वपूर्ण तैनाती के लिए देश के लक्ष्य स्पष्ट किए जाने की दरकार है।

अनमोल वचन

इतिहास में कभी भी विचार-विमर्श से कोई ठोस परिवर्तन हासिल नहीं किया गया है।
-सुभाष चंद्र बोस

दक्षिण की भाषाएं 'मध्य' में

सामयिक
डॉ. ब्रह्मदीप अलूने

मध्य प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा नीति में एक बड़ा बदलाव करते हुए कई दक्षिण भारतीय भाषाओं को राज्य शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल कर बेहद सकारात्मक संदेश दिया है। अब राज्य के कॉलेजों में हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू के अलावा बंगाली, मराठी, तेलुगू, तमिल, गुजराती और पंजाबी जैसी भारतीय भाषाओं में भी शिक्षा दी जाएगी। इस पहल के तहत छात्रों को अपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा जिससे उनकी भाषाई क्षमता और सांस्कृतिक जुड़ाव में वृद्धि होगी। त्रिभाषा फार्मूले के बाद कई दशकों से होने वाली भाषाई राजनीति के थमने के आसार बढ़ गए हैं। मध्य प्रदेश का यह कदम देश में भाषावाद की राजनीति को खत्म करने वाला और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बेहद महत्त्वपूर्ण हो सकता है।

दरअसल, करीब छह दशक पहले भारत में त्रिभाषा फार्मूले को इसलिए प्रस्तावित किया गया था जिससे कि विविधता वाले विशाल भारत देश में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा मिले तथा इसे देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिल सके। कोठारी आयोग ने इसकी सिफारिश 1960 के दशक में की थी। यह फार्मूला भारतीय भाषाओं की समृद्धि और विविधता को बनाए रखते हुए छात्रों को विभिन्न भाषाओं के ज्ञान के माध्यम से एकता, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने वाला बताया गया था।

त्रिभाषा फार्मूला का उद्देश्य भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना और एकता बनाए रखना था, लेकिन इसके कई पहलुओं पर सही तरीके से अमल नहीं किया गया है। उत्तर भारत के कुछ हिस्सों खासकर हिन्दीभाषी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के महत्त्व को ठीक से समझने या स्वीकार करने में कुछ हद तक उपेक्षापूर्ण रवैया देखा गया। इसका असर त्रिभाषा फार्मूला और भाषाई समानता के मुद्दे पर भी पड़ा। आम तौर पर हिन्दीभाषी क्षेत्रों में महसूस किया जाता है कि हिन्दी के अलावा अन्य भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगू, कन्नड़ या मलयालम उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हैं, जिससे दक्षिण भारत के लोगों को अपमान का अहसास होता है। दक्षिण भारतीय भाषाओं के महत्त्व को नकारने को दक्षिण भारत में भाषाई श्रेष्ठता और सांस्कृतिक असंवेदनशीलता की तरह लिया गया और बाद में दक्षिण भारत की राजनीति में इसे हिन्दी विरोध के रूप में प्रचारित किया गया। इससे देश में भाषा और पहचान को लेकर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक लकीर खिंच गई। वास्तव में इस समय राजनीतिक दलों से अपेक्षा थी कि वे भाषा और पहचान के बीच के संबंधों को बेहतर तरीके से लोगों को समझाएं तथा समावेशी दृष्टिकोण अपना कर राष्ट्रीय एकता को मजबूती दें। लेकिन ऐसा हो न सका। इस कारण त्रिभाषा सूत्र

को लागू करने में भारी समस्याएं सामने आ गईं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने स्कूलों में हिन्दी सिखाने के लिए तैयार नहीं हुए। वहीं किसी भी हिन्दीभाषी राज्य ने अपने स्कूलों के पाठ्यक्रम में किसी भी दक्षिण भारतीय भाषा को शामिल नहीं किया। उत्तर भारतीय दृष्टिकोण से दक्षिण भारत की भाषाओं को पूरी तरह से महत्व नहीं दिया जाता और धारणा बनती है कि ये भाषाएं हिन्दी के मुकाबले कम महत्त्वपूर्ण हैं।

उत्तर भारत में हिन्दी का प्रभुत्व इतना गहरा है कि कई लोग इसे राष्ट्रीय एकता और पहचान का प्रतीक मानते हैं। इस मानसिकता में दक्षिण भारत की भाषाओं को शामिल करने की बजाय हिन्दी को ही देश की एकमात्र प्रमुख भाषा माना जाता है। 1960 के दशक में जब दक्षिण भारत में हिन्दी के खिलाफ विरोध हो रहा था, तो उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में इसे राष्ट्र के खिलाफ आंदोलन की तरह समझा गया था। उत्तर भारतीयों को यह महसूस नहीं हुआ कि यह केवल एक भाषा का सवाल नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और पहचान का मुद्दा था। इस असंवेदनशीलता ने दक्षिण भारत के लोगों को आभास कराया कि उत्तर भारत उनकी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान की कद्र नहीं करता। भारत में भाषावाद जटिल और संवेदनशील समस्या रही है, जो देश की विविधता और एकता, दोनों को प्रभावित करती है। यह मुख्यतः भाषा के आधार पर पहचान, संसाधनों के वितरण और राजनीतिक शक्ति के संघर्ष से संबंधित है। भारत में भाषा सांस्कृतिक पहचान का महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, और अपनी भाषा की रक्षा के लिए संघर्ष अक्सर भाषावाद का रूप ले लेता है। इस समय तमिलनाडु की एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार और केंद्र सरकार एक बार फिर हिन्दी को लेकर आमने-सामने हैं।

तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को राज्य में लागू नहीं किया है, और इसका कारण बताया है कि यह नीति हिन्दी को राज्य में थोपने की कोशिश है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में प्रस्तावित त्रि-भाषा सूत्रको तमिलनाडु समेत अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों ने खारिज कर दिया है, और आरोप लगाया है कि त्रि-भाषा सूत्र के माध्यम से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है। नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल है, और इसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी की आवश्यकताओं के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाते हुए भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और वैश्विक महाशक्ति में बदल कर प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए त्रि-भाषा सूत्रपर बल देने का निर्णय लिया गया।

इस नीति ने संपूर्ण भारत में त्रि-भाषा सूत्र की उपयुक्तता पर बहस को फिर से प्रारंभ कर दिया है। मध्य प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले अपनाया और अब दक्षिण भारत की भाषाओं को राज्य के शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने का निर्णय भी लिया है। ऐसा कर मध्य प्रदेश ने न केवल उत्तर भारत के कई राज्यों को भाषाई और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझाने की कोशिश की है, बल्कि देश के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को यह नसीहत भी दी है कि राज्यों की नीतियां देश में एकरूपता लाने के लिए होनी चाहिए और भाषा को लेकर सबके साझा प्रयासों की जरूरत है।

(लेख में विचार निजी हैं)

> मध्य प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश में सबसे पहले अपनाया और अब दक्षिण भारत की भाषाओं को राज्य के शिक्षा संस्थानों में पढ़ाने का निर्णय भी लिया है। ऐसा कर मध्य प्रदेश ने न केवल उत्तर भारत के कई राज्यों को भाषाई और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को समझाने की कोशिश की है, बल्कि देश के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को यह नसीहत भी दी है कि राज्यों की नीतियां देश में एकरूपता लाने के लिए होनी चाहिए

- केंद्रीय वित्त सचिव अजय सेठ के मुताबिक, देश की आर्थिक वृद्धि के लिए करदाताओं और उधारी के अलावा रेटपेयर्स (यूटिलिटी के लिए शुल्क देने वालों) द्वारा बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। रेटपेयर्स से मतलब उन लोगों से है जो पानी, बिजली, बस-मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों आदि का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए शुल्क देते हैं
- राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सेठ ने कहा कि भारत के सेविंग पूल को फंड देने वाले तीन समूहों में से रेटपेयर्स को आगे आने की जरूरत है। देश में सेविंग पूल सीमित हैं। हम आय उत्पन्न करते हैं। इसके बाद या तो हम इसे कहीं खर्च करते हैं या निवेश करते हैं
- लेकिन सवाल यह है कि विकास को कौन फाइनेंस करेगा... केवल तीन समूह हैं-टैक्सपेयर्स, अगली पीढ़ी (की उधारी) और रेटपेयर्स। अभी तक रेटपेयर्स की भूमिका न के बराबर रही है

स्रोत : मीडिया इनपुट्स

यदि हाई कोर्ट के जज के घर पर कथित रूप से नकदी पाया जाना न्यायपालिका के लिए स्वतंत्र जवाबदेही आयोग बनाने का सबब बनता है, तो इलेक्ट्रोरल बॉन्ड्स घोटाला भी बड़ा कारण प्रतीत होता है, जिसके चलते एक स्वतंत्र और पूर्णतः सशक्त लोक पाल की अवधारणा को फिर से मूर्तकार किया जाए जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों समेत सभी मंत्री हों। क्या आप इस बात से सहमत हैं?

एम.के. वेणु, पत्रकार
@mkvenu1

जलवायु बदलाव | **गिरीश पांडे**

खतरनाक होगी इसकी अनदेखी

हाल में नई दिल्ली में पर्यावरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। दो दिन के इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने किया। गौरतलब है कि एनजीटी की स्थापना राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 के तहत की गई है। यह विशेष न्यायिक निकाय है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। एनजीटी के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अन्य न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। एनजीटी का कार्य पर्यावरण से जुड़े विवादों को प्रभावी तरीके से शीघ्र निपटाना है। इसलिए इस सम्मेलन की महत्ता स्वयंसिद्ध है।

सम्मेलन में चार प्रमुख तकनीकी सत्र आयोजित किए गए जिनमें जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण नियंत्रण, जैव-विविधता संरक्षण तथा सतत विकास सहित पर्यावरण के समक्ष चुनौतियों के समाधान पर विचार-विमर्श किया गया। सम्मेलन में भावी पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराने का नैतिक दायित्व माना गया। चूंकि सभी के सामूहिक प्रयासों से ही पर्यावरण का संरक्षण-संवर्धन संभव है, इसलिए नागरिकों से पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया। क्लाइमेट चेंज की भयावह समस्या किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है, इसलिए सम्मेलन में वैश्विक पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा पार सहयोग और नवाचारी नीतियों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया ताकि एक साथ पारिस्थितिक संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके।

जहां तक भारत का संबंध है तो केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार भारत कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकी में नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मंत्रालय का मानना है कि विकासशील देशों के लिए त्वरित पर्यावरणीय आर्थिक विकास ही जलवायु परिवर्तन से ठोस बचाव है। भारत न केवल कार्बन फुटप्रिंट कम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, बल्कि हरित ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से लाखों नौकरियों का सृजन भी कर रहा है। सम्मेलन को हम क्लाइमेट चेंज की समस्या से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देने, जागरूकता लाने तथा पर्यावरण संरक्षण के सामूहिक मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम कह सकते हैं।

हम देख रहे हैं कि जैसे-जैसे वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, वैसे-वैसे न केवल ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बल्कि जंगल की आग भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा रही है। ग्लेशियरों के पिघलने से न केवल पर्यावरण, बल्कि मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समुद्र स्तर में वृद्धि होने से तटीय क्षेत्रों और द्वीपीय देशों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भारत में मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे तटीय शहरों को खतरा है। नदियों में पानी की मात्रा अचानक बढ़ने से बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है। ग्लेशियरों से पिघल कर आने वाला पानी नदियों का मुख्य स्रोत होता है, खासकर गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियों के लिए। तीनों नदियां देश को 63 प्रतिशत के आसपास पानी देती हैं, जिसमें अकेले गंगा का हिस्सा लगभग 25 प्रतिशत है। इसलिए ग्लेशियर खत्म होने की स्थिति में इन नदियों में पानी की मात्रा घट जाएगी, जिससे भविष्य में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे देशों में जल संकट गहरा सकता है। कई जीव-जंतु और पौधे ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं। ग्लेशियरों के पिघलने से उनका आवास नष्ट हो जाता है, जिससे कई प्रजातियों के विलुप्त होने का भी खतरा है। ध्रुवीय भालू, हिम तेंदुआ और अन्य आर्कटिक जीव इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नदियों में पानी की कमी होने से सिंचाई पर प्रभाव पड़ता है, जिससे खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फबारी में कमी आने से स्कीइंग और अन्य शीतकालीन खेलों का व्यवसाय प्रभावित होता है, और आजीविका पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। जंगल की आग की बढ़ती घटनाएं भी चिंतनीय हैं, जो शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान के कारण जंगलों को आग का गोला बना रही हैं। दक्षिण कोरिया और कैलिफोर्निया में हाल की आग जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरों की गंभीर चेतावनी हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण लंबे समय तक सूखा, बढ़ते तापमान और बदले वर्षा पैटर्न जंगल की आग के लिए अनुकूल स्थितियां बना रहे हैं।

आज प्राइमरी स्तर से ही पर्यावरण शिक्षा देना जरूरी है। नीति बनाने में प्रशासन और वैज्ञानिकों के साथ ही स्थानीय लोगों की भागीदारी भी जरूरी है। पूरे हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी का नये सिरे से गहराई से अध्ययन किया जाना जरूरी है। लेकिन महत्त्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन के मूल कारण-ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन-को पहले नियंत्रित करना होगा। कुछ विश्व नेता अभी भी जलवायु परिवर्तन की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं। इस संकट के हल के प्रति पूरी तरह उदासीन दिखाई देते हैं। वे भूल जाते हैं कि क्लाइमेट चेंज की रफ्तार यदि ऐसी ही बनी रही तो मानव जीवन का अस्तित्व बचा नहीं रह सकेगा।

चरित्र | **श्रीराम शर्मा आचार्य**

चरित्रवान बनने के लिए अपनी आत्मिक शक्ति जगाने की आवश्यकता होती है। तप, संयम और धैर्य से आत्मा बलवान बनती है। कामुकता, लोलुपता और इंद्रिय सुखों की बात सोचते रहने से ही आत्मशक्ति का ह्रास होता है। विचारों को शक्ति और दृढ़ता प्रदान करने वाला साहित्य आत्म-निर्माण में बड़ा योग देता है। अच्छी पुस्तकों से प्राप्त प्रेरणा सच्चे मित्र का कार्य करती हैं। साहित्य का चुनाव करते समय देख लेना अनिवार्य है कि उसमें मानवता के अनुरूप विषयों का संपादन हुआ है अथवा नहीं? हमारी वेशभूषा और खानपान भी हमारे विचारों तथा रहन-सहन को प्रभावित करते हैं। भड़कीले, चुस्त और अजीब फैशन के वस्त्र मस्तिष्क पर अपना दूषित प्रभाव डालने से चूकते नहीं। इनसे हर घड़ी सावधान रहें। वस्त्रों में सादगी और सरलता मनुष्य की महानता का परिचय है। इससे किसी भी अवसर पर कठिनाई नहीं होती। मन-बुद्धि की निर्मलता, पवित्रता पर इनका सौम्य प्रभाव पड़ता है। यही बात खानपान के संबंध में भी है। आहार की सादगी और सरलता से विचार भी वैसे ही बनते हैं। मादक द्रव्य, मिर्च, मसाले, मांस जैसे उत्तेजक पदार्थों से चरित्र-बल क्षीण होता है, और पशुवृत्ति जागृत होती है। खानपान की आवश्यकता स्वस्थ रहने के लिए होती है न कि विचार-बल को दूषित बनाने को। आहार में स्वादप्रियता से मनोविकार उत्पन्न होते हैं। अतः जो भोजन ग्रहण करें, वह जीवन रक्षा के उद्देश्य से हो तो भावनाएं भी ऊर्ध्वगामी बनती हैं। चरित्र-रक्षा प्रत्येक मूल्य पर की जानी चाहिए। इसके छोटे-छोटे कार्यों की भी उपेक्षा करना ठीक नहीं। उठना, बैठना, वार्तालाप, मनोरंजन के समय भी मर्यादाओं का पालन करने से उक्त आवश्यकता पूरी होती है। सभ्यता का चिह्न सच्चरित्र, सादा जीवन और उच्च विचारों को माना गया है। इससे जीवन में मधुरता और स्वच्छता का समावेश होता है। जीवन की संपूर्ण मलिनताएं नष्ट होकर नये प्रकाश का उदय होता है, जिससे लोग अपना जीवन लक्ष्य तो पूरा करते ही हैं, औरों को भी सुवासित तथा लाभान्वित करते हैं। जीवन सार्थकता की साधना चरित्र है। सच्चे सुख का आधार यही है। इसलिए प्रयत्न यही रहे कि हमारा चरित्र सदैव उज्ज्वल रहे, उद्दात्त रहे।

रीडर्स मेल

राम कथा से नदी संरक्षण

एक समाचारपत्र में प्रकाशित खबर न केवल सुकून देने वाली है, बल्कि नई राह भी दिखाती है। राजस्थान के डूंगरपुर में नाला बनी मोरन नदी को खड़गदा गांव के लोगों ने पुनर्जीवित कर दिया। पहले यह नदी सूखी थी और इसमें बजरी का खनन होता था। इस मृतप्राय नदी को गांव वालों ने जन सहयोग से पुनर्जीवित करने करने के लिए 1.75 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इतनी बड़ी राशि जुटाने के लिए गांव में 9 दिन तक राम कथा कराई गई। कथा में लोगों ने यथाशक्ति दान भी किया। देश में पहला उदाहरण है, जब नदी संरक्षण के लिए राम कथा करवाई गई। अब नदी में इतना पानी जमा हो चुका है कि वहां साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं, और बोटिंग की तैयारी भी की जा रही है। खड़गदा गांव के भागीरथों (लोगों) को ऐसा प्रेरणादायक उदाहरण पेश करने के लिए बहुत-बहुत बधाई।

हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन

स्लीप डिवोर्स में भारत अव्वल

आम तौर पर विवाह के बाद पति-पत्नी द्वारा बिस्तर साझा करना प्रेम एवं अपनत्व का प्रतीक माना जाता है, लेकिन जब इसके कारण ही वैवाहिक जीवन में दरार पड़ने लगें तो क्या होगा? हाल में ग्लोबल स्लीप सर्वे में सामने आया है कि स्लीप डिवोर्स के मामले में भारत नंबर वन पर है। स्लीप डिवोर्स यानी 'नींद के लिए अलगाव'। इसमें पति-पत्नी कानूनी तौर पर डिवोर्स नहीं देते हैं, बल्कि सोने की व्यवस्था बदल लेते हैं। मतलब एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग-अलग कमरे में सोते हैं। इस मामले में भारत नंबर वन पर इसलिए आ गया है, क्योंकि 78 फीसद शादीशुदा दंपति ने यह ट्रेंड अपना लिया है। इसे अपनाने के मुख्यतः चार कारण हैं। पहला-बेहतर नींद की जरूरत जिसमें खर्राटे, करवट बदलते रहना या जीवन साथी की नींद की अलग आदतें एक दूसरे की नींद खराब कर सकती हैं। दूसरा-स्वास्थ्य संबंधी कारण जिसमें नींद में चलना, ज्यादा हिलना-डुलना या अन्य किसी समस्या के कारण साथ सोना मुश्किल हो जाता है। तीसरा-वर्क शेड्यूल का अंतर तथा चौथा-पर्सनल स्पेस। इससे वैवाहिक जीवन में कड़वाहट पैदा हो रही है, जिससे विवाह टूटने की भी आशंका है, जो चिंताजनक है।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

भ्रष्टाचार की दीमक

हाल में कार्मिक लोक शिकायत कानून एवं न्याय संबंधी संसदीय समिति ने बीते वर्ष 91 आईएएस अधिकारियों की अचल संपत्ति का विवरण न मिलने का उल्लेख करते हुए उनको दंडित करने की कार्रवाई की बात कही है। भारत को नौकरशाही का भ्रष्टाचारी तंत्र दीमक की तरह चाट रहा है। नौकरशाहों के हाथ इतने लंबे होते हैं कि उनकी पहुंच आती-जाती सरकारों में होती है। समय-समय पर विभिन्न राज्यों में भी नौकरशाह पकड़े जाते हैं, तो नगदी-संपत्ति का जखीरा मिलता है। भारत सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते रहे हैं कि संपत्ति का पूरा ब्योरा दिया जाए लेकिन कानून को ठेंगा दिखा कर नौकरशाह एक ही स्थान पर बर्षों तक मलाईदार परत पर बैठे रहते हैं। विभिन्न नियुक्तियों और पदोन्नतियों में भी भ्रष्टाचार पाया जाना इस बात संकेत देता है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने ही होंगे।

सीमा गुप्ता, बरेली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 225
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा कक्ष 1209-1210, बाराखंबा कोर्ट, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी